राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(एनआईसीडीआईटी)

वार्षिक रिपोर्ट
और
अंकेक्षित वित्तीय विवरण
(हिंदी तथा अंग्रेज़ी)

वित्तीय वर्ष 2019-20

संगठन के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ओ.एम नं. के पैरा 02 पर भेजा गया एल.ए.क़.इ.ए. एस -सी.बी.II067/18/2019-सी.बी.-II दिनांक 23.10.2019 लोकसभा सचिवालय

मंत्रालय का नाम: - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

विभाग का नाम: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी
1	कृपया निर्दिष्ट करें, क्या संगठन स्वायत्त / सांविधिक निकाय, संयुक्त उद्यम, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, आदि है	न्यास
2	संगठन की स्थापना का वर्ष	2012
3	क्या संगठन संबंधित मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)
4	संगठन को संचालित करने वाले अधिनियम / नियम / विनियम	न्यास विलेख तथा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 तथा सामान्य वित्तीय नियम, 2017
5	क्या उपरोक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अधिनियम / नियम / विनियमन में सदन के पटल पर संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने के प्रावधान हैं? (हाँ या नहीं में इंगित करे) (कृपया अधिनियम / नियम / विनियमन की एक प्रति संलग्न करें)	हाँ (सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 संलग्न हैं)
6	यदि क्रम संख्या 5 से ऊपर का उत्तर हां में है, तो इन रिपोर्टों को पटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा को इंगित करें।	31 दिसंबर
7	क्या संबंधित मंत्रालय / विभाग से संगठन को वित्तीय सहायता (एक बार / आवर्ती / वार्षिक) प्राप्त हुई है।	वार्षिक
8	क्या स्थापना के बाद से निरंतर, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं; (हाँ या नहीं में इंगित करे)	हाँ
9	यदि ऊपर दिए गए क्रम संख्या 8 का उत्तर हां है, तो पिछले तीन वर्षों यानी 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए सदन के पटल पर अपेक्षित दस्तावेज रखने की तिथि (तारीखों) को इंगित करें।	**वित्तीय वर्ष** / **लोकसभा** / **राज्यसभा** 2016-17 / 02.04.2018 / 28.03.2018 2017-18 / 17.07.2019 / 26.07.2019 2018-19 / 21.09.2020 / नहीं
10	यदि क्रम संख्या 8 के ऊपर का उत्तर नहीं है; तो इसकी स्थापना के बाद से उन वर्षों का उल्लेख कारणों के साथ, जिनके लिए संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज नहीं रखे गए हैं, तथा वही, सदन के पटल पर कब तक रखे जाने की उम्मीद है।	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट किए गए वार्षिक खातों को डीपीआईआईटी को 28 अगस्त, 2020 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए भेजा गया था। हालाँकि, इसे लोकसभा में रखा गया था, लेकिन संसद के पिछले सत्र में राज्यसभा में नहीं रखा जा सका और संसद के आगामी सत्र में रखा जाएगा।

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट	1 - 27
2	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	28 - 32
3	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रमाणित वार्षिक खाते	33 - 45

<u>वार्षिक रिपोर्ट</u>

(वित्तीय वर्ष 2019-20)

15 सितंबर 2011 को भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार दिनांक 27 सितंबर, 2012 को ट्रस्ट डीड के निष्पादन द्वारा डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड निगमित किया गया था।

भारत सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर, 2016 के आदेश द्वारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के अधिदेश और दायरे को विस्तारित करने तथा देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन: नामित करने के लिए अनुमोदन दिया। एनआईसीडीआईटी, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। सरकार ने निम्नलिखित संरचना के साथ एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल संरचना के गठन को भी अनुमोदन दिया है:

1. सचिव, डीपीआईआईटी, अध्यक्ष;
2. सचिव, व्यय विभाग, सदस्य;
3. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सदस्य;
4. सचिव, सड़क यातायात एवं राजमार्ग, सदस्य;
5. सचिव, पोत-परिवहन, सदस्य;
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सदस्य;
7. सीईओ, नीति आयोग, सदस्य; और
8. सीईओ, एनआईसीडीआईटी, सदस्य सचिव

एनआईसीडीआईटी की भूमिका, उत्तरदायित्व तथा कार्य निम्नानुसार हैं:

क) औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए एक सक्षम संस्थानिक, वित्तपोषण और क्रियाशील ढांचे को स्थापित करना;

ख) नए औद्योगिक गलियारों, नोडों, अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट और स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना;

ग) सभी प्रोजेक्टों का मूल्यांकन करना और एसपीवी को इक्विटी अथवा ऋण अथवा दोनों को अधिकृत करना और वित्तीय अधिकारों के अनुमोदित प्रत्यायोजन के अनुसार परियोजना विकास के लिए अनुदान की स्वीकृति;

घ) नॉलिज पार्टनर(रों), विशेष प्रयोज्य योजनाओं (एसपीवी) और राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक गलियारों में परियोजना विकास गतिविधियों को सहारा देना और उद्योगों के लिए प्रमुख निवेशकों की पहचान करने में राज्यों की सहायता करना;

ङ) आवश्यकता के अनुसार ऋण/इक्विटी एकत्र करना, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/अन्य स्टेक होल्डरों के साथ संयुक्त उद्यम में गठित एसपीवी को इक्विटी/ऋण उपलब्ध कराना;

च) पिछले अनुच्छेदों में उल्लिखित तौर-तरीकों को प्रभावी रूप देने के लिए, समय-समय पर आवश्यकता अनुसार, राज्य सरकारों/परियोजना विशेष एसपीवी/सार्वजनिक अथवा निजी संगठनों के साथ अनुबंध करना;

छ) विशेष रूप से पहचाने गए अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर विकसित किया जा सकता है, ऐसे प्रोजेक्टों के लिए राज्यों के मौजूदा तंत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध कराना। बहरहाल, शहर/नोड के लिए भूमि आवश्यक रूप से राज्य की इक्विटी होगी और राज्य द्वारा अधिगृहित की जाएगी और उनके द्वारा पूर्ण भुगतान किया जाएगा।

ज) एनआईसीडीआईटी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखों को रखेगा और खाते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

एनआईसीडीआईटी का संस्थानिक ढांचा निम्नानुसार है:

क. एनआईसीडीआईटी का निदेशक मंडल प्रत्येक एसपीवी की अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि अधिग्रहण और कार्य के वास्तविक निष्पादन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, ऋण और इक्विटी के इष्टतम मिश्रण, वित्तीय साधनों के विकल्प, निधियों की मात्रा, नियम एवं शर्तें और भारत सरकार द्वारा उपलब्ध अनुदान से संवितरण अनुसूची को अनुमोदित और स्वीकृति देगा।

ख. एनआईसीडीआईटी औद्योगिक गलियारों के विकास को सक्षम बनाने के लिए यथोचित अनुमोदनों को प्राप्त करने के पश्चात वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक ऋण जुटाने और इसके अतिरिक्त, कर-मुक्त बांड, कैपिटल गेन बांड, साख संवर्धन आदि जुटाने के लिए भारत सरकार के उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाएगी।

ग. एनआईसीडीआईटी भारत सरकार के अंशदान का परिक्रामी निधि के रूप में उपयोग करेगा। भारत सरकार द्वारा एसपीवी में किया गया निवेश एनआईसीडीआईटी के माध्यम से होगा ताकि भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का प्रयोग कर एनआईसीडीसी द्वारा अभी तक विकसित एसपीवी सहित एसपीवी के सभी ऋण भुगतान और एसपीवी से इक्विटी विनिवेश की प्रक्रिया से प्राप्त धन को परिक्रामी निधि में पुन: लगाया जाए, जो एनआईसीडीआईटी को भविष्य में इस प्रकार के औद्योगिक गलियारे विकसित करने में सक्षम बनाएगा। नोडल/सिटी लेवल एसपीवी भारत सरकार/राज्य सरकारों से उपयुक्त गारंटियों द्वारा साख संवर्धन के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण जुटा सके, ताकि यह बीमा और पेंशन निधियों द्वारा निवेश के लिए अर्थक्षम हो। नोडल/सिटी लेवल एसपीवी को नवप्रवर्तन अवसंरचना निधिकरण शामिल करने और यूजर फी फंडिंग, मूल्य नवप्रवर्तन और विभिन्न पीपीपी व्यवस्था जैसे भुगतान साधनों की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार/एसपीवी द्वारा ऋण या अन्यथा के रूप में एकत्र की गई निधि को भी राज्य की और से योगदान गिना जायेगा।

घ. पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु उनके सूत्रीकरण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना प्रोजेक्ट के अनुसार प्रचलित दिशा-निदेशों का अनुपालन किया जाएगा। इस प्रकार की परियोजनाएं प्रचलित नीति के अनुसार वॉयाबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की पात्र होंगी। डीआईपीपी के सचिव और एनआईसीडीआईटी के सदस्य सचिव, औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी अनुमोदन समिति (पीपीपीएसी) के सदस्य होंगे। मास्टर प्लान/डेवलपमेंट प्लान के अनुसार समन्वित विकास सुनिश्चित करने के संबंध में औद्योगिक गलियारों में वीजीएफ के लिए सभी प्रस्तावों को एनआईसीडीआईटी द्वारा जांचा और अनुशंसित किया जाएगा।

ङ. प्रत्येक इंडस्ट्रियल सिटी/नोड को भारत सरकार से औसतन 2500 करोड़ रुपए का समर्थन दिया जाएगा जो भौगोलिक स्थान, आकार, राज्य के योगदान और विकासात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए अधिकतम 3000 करोड़ रुपए होगा। प्रत्येक शहर/नोड के लिए वास्तविक आवश्यकता भिन्न-भिन्न हो सकती है, जो भूमि की लागत और अवसंरचना विकास तथा भूमि प्रापण/लैंड पूलिंग के लिए धन जुटाने की राज्य सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है। राज्य सरकार का योगदान भूमि अथवा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तपोषण

सहित किसी भी स्रोत से उसके द्वारा जुटाए गए धन के रूप में होगा। यद्यपि गैर-पीपीपी परियोजनाओं के लिए कुल आवश्यकता बहुत अधिक हो सकती है और यह शहर प्रति शहर भिन्न होगी और भारत सरकार से मांगी जा रही उपरोक्त उल्लिखित धनराशि इन शहरों/नोडों में विकास के प्रथम चरण को शुरू करने के लिए है। बाद में, धनराशि आंतरिक मुद्रीकरण द्वारा जुटाई जाएगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

एनआईसीडीआईटी अपने सम्मुख प्रस्तुत सभी गैर-पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। एनआईसीडीआईटी बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, यह 300 करोड़ रुपए तक की मूल्यांकित परियोजनाओं का अनुमोदन देगा। 300 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ तक की मूल्यांकित परियोजनाओं के मामले में प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 500 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 1000 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए से अधिक सभी प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीइए) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 के दौरान, न्यास मंडल की बैठक 30 अगस्त, 2019 को आयोजित की गई।

डीएमआईसी नोड का नियोजन और उनकी अपनाई गई संधारणीयता विशेषताएं:

विकसित किए जा रहे डीएमआईसी नोड्स एक लंबे समय तक चलने वाले दृष्टिकोण को अपनाते है जो खुले हरित क्षेत्रों, पब्लिक ट्रांजिट और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, पारंपरिक ऊर्जा के प्रयोग को न्यूनतम करना, जल संरक्षण को ईष्टतमीकरण और पुन:चक्रण करना, ठोस अपशिष्ट सामग्रियों को एकत्रित और पुन:चक्रित करने सहित लो कार्बन सिटी (एलसीसी) विकसित करने के लिए आधारभूत कार्य का निर्माण करते हैं। ट्रंक अवसंरचना की प्रमुख विशेषताएं जो सभी नोड्स में अपनायी जाती है, निम्नलिखित है:-

क) सभी सुविधाओं को भूमिगत बनाए जाने की योजना है जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। वे परिवहन मार्ग से बाहर भी है ताकि अनुरक्षण और अन्य कार्यों के दौरान मुख्य परिवहन मार्ग प्रभावित न हो।

ख) बस स्टेशनों को पैदल चल कर पहुंचने वाली 400 मी दूरी पर बनाया जाएगा। पहुंच बढ़ाने के लिए बेहतर अंतिम छोर संपर्कता विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। यातायात पर प्रभाव को कम करने के लिए बस बे/ बस स्टॉप के लिए प्रावधान।

ग) अपशिष्ट जल को एसटीपी और सीईटीपी से एकत्रित और पुन:चक्रित किया जाएगा और इसे न पीने के उद्देश्य से शहर में पुन: वितरित किया जाएगा। किसी भी ओवरफ्लो से बचने और कुशलता बनाए रखने के लिए स्काडा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। स्थायी उपाय के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) को अपनाया जाएगा। औद्योगिक और रिहायशी लाइनों के लिए पृथक-पृथक सीवर लाइनें।

घ) सिटी लेवल पर वर्षा जल संग्रहित कर जल संरक्षण अपनाया गया है। उदाहरण के लिए धौलेरा में 2500 मिलियन लिटर क्षमता से अधिक वाले 100 मीटर चौड़े चैनल को वर्षा जल संग्रहण, पार्कों और बगीचों की सिंचाई के साथ-साथ न पीने के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा।

ङ) ग्रीनफील्ड सिटी की संपूर्ण अवसंरचना योजना वास्तविक समय पर सूचना और इसे प्रभावी रूप से परिचालित एवं प्रबंधित करने के लिए स्काडा, सेंसरों और ऑटोमेशन के साथ तैयार की गई है। यह इंटलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ई-गवर्नेंस, डिजीटल हेल्थ एवं एजुकेशन, इमरजेंसी और सिटी ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाएगा।

च) खुले हरित क्षेत्रों के लिए वर्गीकरण अनुक्रम द्वारा हरित क्षेत्रों की योजना जो निम्नानुसार है:

i. पांच मिनट पैदल की दूरी पर नज़दीकी पार्क;
ii. दस मिनट की पैदल दूरी पर सामुदायिक पार्क
iii. शहर के भीतर स्टोर्म वाटर केनाल के साथ लाइनर पार्क।

छ) सुरक्षित और स्थायी मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए योजना बनाई गई है जो सार्वजनिक परिवहन मोड और गैर-मोटर चालित मोड के साथ एकीकृत है।

ज) सामाजिक अवसंरचना के साथ समूहों में पार्किंग सुविधाओं के साथ प्रमुख पारगमन क्षेत्रों में नियोजित विद्युत चार्जिंग स्टेशन।

झ) सभी झीलों को बेहतर बनाया जा रहा है और पानी की धारणीयता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त नहरों की योजना है और रहने वालों के लिए मनोरंजन क्षेत्र उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

ञ) निवासियों के लिए चलने और प्रदूषण कम करने के लिए व्यापक फुटपाथ और साइकिल ट्रैक।

ट) सभी प्लॉट और परिसंपत्तियों को देखने के लिए व्यापक वेब आधारित जीआईएस ऐप्लिकेशन। सूचना प्राप्त करने, भूमि के लिए आवेदन और आबंटन के लिए अपने आवेदन को देखने के लिए निवेशकों हेतु व्यापक ऑनलाइन भूमि प्रबंधन प्रणाली।

व्यापार और परिचालन की समग्र समीक्षा

परियोजनाओं की प्रगति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

1. डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए, निम्न चार स्थानों पर महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण की गतिविधियां जोरों पर है:

    - गुजरात में 22.5 वर्ग किमी माप का धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए सक्रियण क्षेत्र;
    - महाराष्ट्र में 18.55 वर्ग किमी क्षेत्र वाला शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का चरण-1;
    - ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 747.5 एकड़ क्षेत्र वाला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट;
    - उज्जैन, मध्य प्रदेश में लगभग 1100 एकड़ क्षेत्र में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट

2. भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में 3 प्लॉट, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप में 5 प्लॉट, मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप विक्रम उद्योगपुरी में 1 प्लॉट और महाराष्ट्र में शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया में 59 प्लॉट आबंटित किए गए हैं;

3. आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम नोड और कर्नाटक में तुमकुरू नोड के लिए शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित किया गया है और प्रोजेक्ट एसपीवी को भी निगमित किया गया है:

4. तमिलनाडु में पोन्नेरी नोड के लिए शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित किया गया है और प्रोजेक्ट एसपीवी के निगमीकरण के लिए गतिविधियां शुरू की गई है;

5. एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक चेन्नई बेगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआइसी) परियोजना के विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है और दो नोड्स की पहचान की गई है जिसका नाम पल्क्कड़ (केरल) और धर्मपुरी सेलम (तमिलनाडु) है;

6. एनआईसीडीआईटी ने विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी) के चरण-क में प्राथमिकता वाले नोड के रूप में विशाखापट्टनम (नाकापल्ली क्लस्टर) और चित्तूर (साऊथ क्लस्टर) के विकास के लिए भी अपना अनुमोदन दिया है;

7. उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के अतिरिक्त, निम्न परियोजनाओं के लिए भी परियोजना विकासात्मक गतिविधियां की जा रही है:

- हरियाणा में गुड़गांव से बावल तक और गुजरात में अहमदाबाद से धोलेरा तक मास रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (एमआरटीएस) प्रोजेक्ट;
- हरियाणा में नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच) प्रोजेक्ट;
- उत्तर प्रदेश के दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच);
- गुजरात के सानंद में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क;
- गुजरात के धौलेरा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट;
- राजस्थान में एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट।

डीएमआईसी प्रोजेक्ट की राज्य-वार प्रगति निम्नानुसार है:

<u>गुजरात</u>

<u>धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर)</u>:

- विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो गए है;
- सभी अनुप्रवाह गतिविधियों को समन्वित कर प्रोग्राम मैनेजर कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां कर रहें है;
- "धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड" नामक एसपीवी निगमित की गई है। राज्य सरकार ने एसपीवी को 37.22 वर्ग किमी भूमि अंतरित की है और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) [पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट)] द्वारा 2145.54 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दे दी है;
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने पांच पैकेजों में बंटे 2784.82 करोड़ रुपए वाले विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेज को अनुमोदित कर दिया है, जिनमें से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार है:-

  - सड़क और सेवा अनुबंध (1734 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति - 83.10%;

- एबीसीडी बिल्डिंग अनुबंध (72.31 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। क्यूब कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड चुना गया बोलीदाता है और कार्य पूरा हो गया है;
- जल शोधन संयंत्र अनुबंध (90 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एसपीएमएल चुना गया बोलीदाता है और जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति – 30.00%;
- मलजल उपचार संयंत्र अनुबंध (54 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति – 66.65%;
- सेंट्रल एफ्फलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अनुबंध (160 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति – 43%;

- आईसीटी परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है और विभिन्न स्मार्ट सिटी घटकों को लागू करने के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के चयन के लिए 06 बोलियां प्राप्त की गई है;
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में टाटा केमिकल्स (प्रमुख निवेशक के रूप में 126 एकड़), टोरेंट पॉवर (20.78 एकड़) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड (5.93 एकड़) को 152.71 एकड़ माप वाले 03 प्लॉट आबंटित किए गए हैं।
- जागरूकता सृजन और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो और राऊंड टेबल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है;
- गुजरात पॉवर कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किए जा रहे 1000 मैगा वॉट में से 300 मैगा वॉट टाटा सोलर पॉवर लिमिटेड को दे दिया गया है। शेष 700 मैगा वॉट के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने निविदा जारी कर दी है और बोलियां आमंत्रित की गई है।

<u>सानंद, गुजरात में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) (500 एकड़):</u>

- परियोजना परामर्शदाताओं द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन को अंतिम रूप दिया जा रहा है;
- एमएमएलपी साइट तक सर्वोत्तम रेल संपर्कता विकल्प को अंतिम रूप देने के लिए पश्चिम रेलवे और डीएफसीसीआईएल के साथ चर्चा जारी है;
- प्रस्तावित परियोजना के लिए संपर्कता योजना तैयार कर ली गई है और इसे समीक्षा तथा अनुमोदन हेतु राज्य सरकार, डीएफसीसीआईएल और रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है;
- भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है;

- राज्य सरकार ने एसपीवी निर्माण के लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) पर सहमति दे दी है और एनआईसीडीआईटी द्वारा शेयर होल्डर एग्रीमेंट के प्रारूप पर विचारा करके अनुमोदित किया गया है।

<u>गुजरात में अहमदाबाद और धौलेरा के बीच एमआरटीएस:</u>

- एमआरटीएस के लिए डीपीआर तैयार हो गई है और राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दी है;
- परियोजना को डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए जीका रोलिंग प्लान में शामिल किया गया है;
- एमआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के आरओडब्ल्यू के भाग के रूप में किया गया है;
- एनएचएआई द्वारा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है और डीएसआईआरडीए द्वारा डीएसआईआर के भीतर कार्यान्वयन हेतु भूमि एनएचएआई को सौंप दी है;
- एक्सप्रेसवे के संपूर्ण भाग के लिए चार पैकेजों के निर्माण के लिए एनएचएआई द्वारा बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है;
- एमआरटीएस प्रोजेक्ट हेतु कार्यान्वयन एजेंसी पर निर्णय करने के लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा जारी है।

<u>धोलेरा, गुजरात में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट:</u>

- ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में नियुक्त मैसर्स पीडब्ल्यूसी के कॉन्सॉर्टियम को नियुक्त किया गया है;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। नागरिक उड्यन मंत्रालय ने परियोजना के लिए "सैद्धांतिक रूप से" स्वीकृति दे दी है;
- गुजरात राज्य सरकार ने 30 वर्ष के लिए, जिसे बाद में आपसी सहमति से आगे 30 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, प्रति वर्ष 1 रुपए की लीज किराए पर 1426 हेक्टयर भूमि उपलब्ध कराने पर सहमति दी है;
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के निदेशक मंडल ने डीपीआर और परियोजना में 51 प्रतिशत इक्विटी को अनुमोदन दे दिया है;
- एएआई, गुजरात राज्य सरकार और एनआईसीडीआईटी के बीच दिनांक 25.03.2019 को शेयरहोल्डर एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया;
- एनआईसीडीआईटी ने अपनी इक्विटी (16 प्रतिशत) के रूप में 24.24 करोड़ रुपए जारी किए है;

- प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग परामर्शदाता के रुप में राइट्स को नियुक्त किया गया है;
- गुजरात के सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ शमन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है जबकि आईआईटी, गांधी नगर द्वारा भू-अन्वेषण किया जा रहा है।

भीमनाथ धोलेरा रेल लाइन प्रोजेक्ट:

- दिनांक 06 सितंबर, 2017 को आयोजित बैठक के दौरान पश्चिम रेलवे द्वारा अंतिम रुप दिए गए अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत को एसपीवी-डीआईसीडीएल के निदेशक मंडल ने अनुमोदन दे दिया है;
- परियोजना को रेल मंत्रालय के गैर-सरकारी रेलवे (एनजीआर) मॉडल के अनुसार डीआईसीडीएल द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रोजेक्ट को एनआईसीडीआईटी और गुजरात सरकार के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा और परियोजना की लागत 100 प्रतिशत इक्विटी के रूप में वित्तपोषित की जाएगी;
- परामर्शदाता द्वारा डीपीआर रिपोर्ट के प्रारूप को प्रस्तुत किया गया है और स्वीकृति/अनुमोदन हेतु पश्चिम रेलवे को प्रस्तुत किया गया है;
- डीएसआईआर परियोजना के क्षेत्र के बाहर भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप दे दिया गया है। डीएसआईआरडीए द्वारा भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है और विवरणों को बोटाड और अहमदाबाद के जिला अधिकारियों को भेज दिया गया है। आरक्षित वन क्षेत्र से गुजरने वाले 2.8 किमी के रेल संरेखण हेतु अपेक्षित वन संबंधी स्वीकृति के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

महाराष्ट्र

शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (एसबीआईए):

- एसबीआईए (8.39 वर्ग किमी) के चरण-1 के प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो गए है;
- सभी अनुप्रवाह गतिविधियों को समन्वित कर प्रोग्राम मैनेजर कार्यान्वयन संबंधित गतिविधियों को कर रहे हैं;
- "औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड" (एआईटीएल) नामक नोड /सिटी लेवल एसपीवी को निगमित किया गया है। राज्य सरकार ने एसपीवी को 8.39 वर्ग किमी भूमि अंतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी (पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट)) द्वारा 602.80 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी भी जारी कर दी गई है;

- शेन्द्रा-बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दे दी है;
- शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 1533.44 करोड़ रुपए वाले विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेज को अनुमोदित कर दिया है। विभिन्न पैकेजों में से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार है:-

  - सड़क, नालियों, पुलियों, जल आपूर्ति, मलजल एवं उर्जा प्रणाली के लिए ईपीसी दे दिया गया है (656.89 करोड़ रुपए)। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए ठेकेदार है। जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति - 92%;
  - ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए ईपीसी (69.45 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। पाटिल कन्सट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चुने गए ठेकेदार है। जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति - 88.10%;
  - जिला प्रशासन भवन के लिए ईपीसी (129 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए ठेकेदार है। कार्य पूरा हो गया है और भवन प्रयोग में है;
  - मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), सामान्य एफ्फुलेएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ईपीसी (72.52 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। पस्सवंट एनर्जी चुने गए ठेकेदार है। जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति - 80.00%;
  - लैंडस्केपिंग और जल सिंचाई कार्यों के लिए ईपीसी (112 करोड़ रुपए) दे दिया गया है, शापूरजी पल्लोनजी चुने गए ठेकेदार है। जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति - 17.00%;
  - आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्यों हेतु ईपीसी (142 करोड़ रुपए) दे दिया गया है, हनीवेल चुने गए ठेकेदार है। जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति - 72.89%;

- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगों सहित 203 एकड़ माप के 59 प्लॉट आबंटित किए गए हैं। शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया में प्रथम प्रमुख निवेशक दक्षिण कोरिया के ह्योसंग कॉर्पोरेशन है। अन्य प्लॉट प्रमुखतः लघु और मध्यम उपक्रमों को आबंटित किए गए हैं। 6 कंपनियों ने शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरु कर दिया है;
- बिडकिन के लिए परियोजना विकासात्मक गतिविधियां शुरू की जा रही है और 6414.21 करोड़ रुपए कीमत वाले महत्वपूर्ण अवसंरचना पैकेजों को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) [पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट) और बाद में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है;

- राज्य सरकार ने बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रोजेक्ट एसपीवी को 20.92 वर्ग किमी भूमि अंतरित की है और 1744.90 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी हो गई है;
- भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच बिडकिन में मैगा टेक्सटाइल पार्क के स्थापना की संभावना पर चर्चा जारी है;
- इसके अतिरिक्त, विभिन्न पैकेजों में से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार हैः
  - एलएंडटी को बिडकिन के चरण-I अर्थात 10 वर्ग किमी में सड़क, भूमिगत सुविधाओं के लिए ईपीसी ठेकेदार (1223 करोड़ रुपए) नियुक्त किया गया है और कार्यान्यवन संबंधी गतिविधियां प्रगति पर है। जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति - 95.03%;
  - आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्य (81.91 करोड़ रुपए) के लिए केईसी इंटरनेशनल को नियुक्त किया गया है। जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति - 42.05%

<u>दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्रः</u>

- राज्य सरकार ने चरण-1 अर्थात 3000 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली है।
- मैसर्स एजिस इंडिया को दिघी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए विस्तृत मास्टर प्लालिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां करने हेतु नियुक्त किया गया है। परामर्शदाता ने समीक्षा और अनुमोदन के लिए एसपीवी को फाइनल मास्टर प्लान प्रस्तुत कर दिया है।

<u>मध्य प्रदेश</u>

<u>पीथमपुर धार महो इन्वेस्टमेंट रीजन (पीडीएमआईआर):</u>

- नोड/सिटी लेवल के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और मध्य प्रदेश राज्य सरकार/ एमपीटीआरआईएफएसी के बीच स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) और शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) निष्पादित किया गया है;
- पीडीएमआईआर के लिए विकास योजना अधिसूचित की गई है। राज्य सरकार द्वारा नोड के लिए भूमि अधिग्रहण अभी शुरु किया जाना है।

<u>इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' प्रोजेक्ट उज्जैन:</u>

- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और मध्य प्रदेश राज्य ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोरपोरेशन लिमिटेड (एमपीटीआरआईएफएसी) एवं एमपी औद्योगिक केंद्र विकास विकास निगम (एमपीएकेवीएन) के बीच शेयर खरीद सह शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) निष्पादित किया गया है। 'डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड' नामक एसपीवी निगमित की गई है;

- प्रोजेक्ट एसपीवी को 1100 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा 55.93 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है;
- प्रोजेक्ट की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नर्मदा वैली डेवलपमेंट ऑथोरिटी (एनवीडीए) और विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के बीच उज्जियनी से उज्जयन के इंडस्ट्रियल एरिया विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड तक पाइप से जल आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है;
- प्रोग्राम मैनेजमेंट कन्सलटेंट के रूप में एईकॉम निर्माण संबंधी गतिविधियों का पर्यवेक्षण कर रही है;
- ईपीसी कांट्रेक्टर के रूप में, एसपीएमएल और ओम मेटल्स का कन्सॉर्टियम विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना घटकों (332 करोड़ रुपए) का कार्यान्वयन कर रहा है। जुलाई, 2020 तक भौतिक प्रगति - 96.83%;
- जल पाईपलाइन (129 करोड़ रुपए) और पॉवर ट्रांसमिशन लाइन (40 करोड़ रुपए) बिछाने के लिए ईपीसी दे दिया गया है और निर्माण गतिविधियां प्रगति पर है;
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और अमूल को 12 एकड़ माप वाला एक प्लाट आबंटित किया गया है। कुल प्रतिबद्ध निवेश 200 करोड़ रुपए है;
- जागरूकता सृजन करने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो और राऊंड टेबल सम्मलेन को आयोजित किया गया है।

<u>पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जल आपूर्ति योजना:</u>

- राज्य सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के बीच डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (डीएमआईसी पीजेपीसीएल) नामक एसपीवी को निगमित किया गया है;
- 306.55 करोड़ रुपए की परियोजना लागत अनुमोदित की गई है और ट्रस्ट द्वारा 17.15 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है;
- 219 करोड़ रुपए के कार्य हेतु ईपीसी कांट्रेक्टर के रूप में एलएंडटी को चुना गया है और कार्य पूरा हो गया है;
- डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड में एनआईसीडीआईटी की 49% इक्विटी शेयर होल्डिंग अधिगृहीत करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी ने अनुमोदन दे दिया है।

हरियाणा

नांगल चौधरी में इंटिग्रेटिड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच):

- प्रोजेक्ट के लिए महेंद्रगढ़ जिला में लगभग 886 एकड़ भूमि को चिह्नित किया गया है;
- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा राज्य सरकार के बीच "डीएमआईसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड" नामक एसपीवी को निगमित किया गया है;
- राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट के लिए मास्टर प्लानिंग को पूरा और अनुमोदित किया गया है;
- सीसीईए ने चरण-I विकसित करने के लिए 1029.49 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति और परियोजना के चरण-II को विकसित किए जाने की "सैद्धांतिक" सहमति के साथ प्रोजेक्ट को अनुमोदित कर दिया है;
- राज्य सरकार ने कुल भूमि में से 676.85 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 208.05 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी (5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक इक्विटी सहित) जारी कर दी गई है;
- डीएफसीसीआईएल ने प्रोजेक्ट साइट को संपर्कता मुहैया कराने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दे दिया है;
- प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है;
- डीएफसीसीआईएल के न्यू डाबला स्टेशन से रेल साइडिंग और प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब तक रेल साइडिंग के निर्माण के पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त कर दिया गया है;
- राज्य सरकार शेष भूमि खंडो के अधिग्रहण के लिए कार्रवाई कर रही है;
- इस परियोजना को एशियन इन्फ्रास्ट्रकचर इन्वेस्टमेंट बोर्ड (एआईआईबी) से एनआईसीडीआईटी को ऋण वित्तपोषण के लिए रखा गया है।

मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) प्रोजेक्ट:

- दिल्ली मेट्रो रेल कोरपोरेशन (डीएमआरसी) के साथ राज्य सरकार ने फाइनल डीपीआर को अनुमोदित कर दिया है;
- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा सरकार के बीच "डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड" नामक एसपीवी को निगमित किया गया है;
- भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है;

- प्रोजेक्ट को डीएमआईसी प्रोजेक्ट के जीका स्पेशल रोलिंग प्लान में शामिल किया गया है;
- एमआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा जारी है।

ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट:

- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा सरकार के बीच "डीएमआईसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड" नामक एसपीवी को निगमित किया गया है;
- सड़क और सेवाओं/उपयोगिताओं के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरा हो गया है;
- भूमि मूल्यांकन और चरणबद्ध रणनीति के संबंध में सहमति के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश

ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट:

- प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां पूरी हो गई है और "इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड" नामक एसपीवी को निगमित किया गया है;
- प्रोजेक्ट एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा 617.20 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दे दी गई है;
- आईसीटी परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के चयन के लिए निविदा दस्तावेज जारी कर दिए गए है;
- शपूरजी पल्लोंजी को 426 करोड़ रुपए में विभिन्न प्रमुख अवसरंचना घटकों को कार्यान्वित करने के लिए ईपीसी कांट्रेक्टर नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर है। जुलाई, 2020 तक कार्य की भौतिक प्रगति - 98%
- जनवरी, 2018 में सीमंस को 121 करोड़ रुपए में साइट के भीतर के उर्जा वितरण कार्य करने के लिए ईपीसी कांट्रेक्टर नियुक्त किया गया है। जुलाई, 2020 तक कार्य की भौतिक प्रगति - 92%;
- ट्रांसमिशन नेटवर्क से संबंधित कार्य उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कोरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) (156 करोड़ रुपए) को दिया गया है और क्रियान्वयन गतिविधियां प्रगति पर है;

- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में हैयर (123.4 एकड़) के साथ 5 आवेदकों को 153.89 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और सितंबर, 2020 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की आशा है;
- रोड शो और राऊंड टेबल कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी।

<u>ग्रेटर नोएडा के दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और बोरकी में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच):</u>

- इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट के लिए एसपीवी एमएमएलएच के साथ-साथ एमएमटीएच प्रोजेक्ट को भी कार्यान्वित करेगी;
- डीएफसीसीआईएल ने प्रोजेक्ट साईट को सम्पर्कता मुहैया कराने के लिए "सैद्धांतिक" सहमति दे दी है;
- एमएमएलएच और एमएमटीएच के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है;
- बोराकी में एमएमटीएच विकसित करने के लिए रेल मंत्रालय और एसपीवी के बीच समझौता ज्ञापन को निष्पादित किया गया है;
- 84 प्रतिशत भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में है और शेष भूमि खंडों को तेजी से अधिगृहीत किया जा रहा है;
- एमएमएलएच और एमएमटीएच दोनों के लिए सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है;
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और डीएफसीसीआईएल के दादरी जंक्शन से प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब तक रेल फ्लाईओवर के निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु परामर्शदाता नियुक्त किया गया है;
- राज्य सरकार से शेष भूमि के अधिग्रहण हेतु अनुरोध किया गया है और जीएनआईडीए की ओर से रेल मंत्रालय को रेल अधिनियम के अंतर्गत 26 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है;
- इस परियोजना को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड (एआईआईबी) से एनआईसीडीआईटी को ऋण वित्तपोषण के लिए रखा गया है।

<u>राजस्थान</u>

<u>खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन, राजस्थानः</u>

- समग्र शाहजहांपुर-नीमराणा-बेहरोड़ अरबन कॉम्पलेकस के भाग के रूप में मास्टर प्लान को अधिसूचित किया गया है;

- चरण-I (लगभग 14 वर्ग किमी.) के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है;
- पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो गई है;
- एसएचए एवं एसएसए के निष्पादन को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट अधिसूचित किया गया है और राज्य सरकार के साथ इसका प्रारूप शेयर किया गया है।

<u>राजस्थान में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट:</u>

- नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा साइट स्वीकृति दे दी गई है;
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई है।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन पूरा हो गया है और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जा रही है;
- प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण तेज करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

<u>जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए):</u>

- मास्टर प्लान अधिसूचित कर दिया गया है;
- राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण तेज करने के लिए अनुरोध किया गया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए) प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण स्वीकृति दे दी है।

<u>स्मार्ट कम्यूनिटी प्रोजेक्ट:</u>

क) <u>मॉडल सोलर प्रोजेक्ट, नीमराणा, राजस्थान:</u>

- 03 सितंबर, 2015 को 05 मैगावाट सोलर पॉवर प्लांट शुरू किया गया है। एनवीवीएन लिमिटेड के साथ पॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के अनुसार 8.77/- रुपए प्रति यूनिट के निर्धारित टैरिफ पर स्टेट ग्रिड (अर्थात 220 केवी जीएसएस नीमराणा) को भेजी जा रही है।
- इंडस्ट्रियल डीजल जनरेटर सैट के साथ सोलर पॉवर के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए भारत में प्रथम स्मार्ट माइक्रो-ग्रिड प्रोजेक्ट के रूप में 1 मैगा वॉट मॉडल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट को किया गया था;
- 10 जुलाई, 2017 को शुरुआत में दो वर्ष की प्रदर्शन अवधि के दौरान 1 मैगा वॉट क्षमता वाले माइक्रो-ग्रिड सोलर पॉवर सप्लाई प्रोजेक्ट से ऑफ ग्रिड हाईब्रिड पॉवर, मिकुनी इंडिया

प्राइवेट लिमिटेड (एमआईपीएल) को उपलब्ध कराई की गई थी। एमआईपीएल के संयंत्र को 20 फरवरी, 2020 को बंद कर दिया गया।

- सोलर पॉवर की थर्ड पार्टी बिक्री के आधार पर ग्रिड इंटीग्रेटेड सोलर पॉवर उपलब्ध कराने के लिए 12 फरवरी, 2020 को डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड (डीएनएसपीसीएल) और टोयडा गोसेई मिंडा प्रा. लिमिटेड (टीजीएमआईपीएल) के बीच पॉवर परचेज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिदिन 5 मैगा वॉट से 71,50,000 यूनिट और 1 मैगा वॉट से 4,500 यूनिट का उत्पादन अनुमानित है।

ख) <u>लॉजिस्टिक डाटा बैंक प्रोजेक्ट:</u>

- 01 जुलाई, 2016 से जेएनपीटी पोर्ट पर परिचालन शुरू किया गया;
- जुलाई, 2020 तक 26.43 मिलियन से अधिक कंटेनरों को टैग्ड/डि-टैग्ड किया जा चुका है;
- सभी प्रमुख पत्तनों और कुछ छोटे पत्तनों पर संपूर्ण भारत स्तर पर सेवा परिचालन में है।

<u>अन्य परियोजनाएं:</u>

<u>नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी):</u>

- एलएंडटी को चरण 1 घटकों (2791 करोड़ रूपए) के निर्माण संबंधी कार्य के लिए ईपीसी कांट्रेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। पीएमसी द्वारा निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी की जा रही है जिन्होंने 31 जुलाई, 2020 को समग्र भौतिक प्रगति 65.35 प्रतिशत बताई है।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) आदि जैसे स्टेकहोल्डरो के परामर्श में अन्य परियोजना विकास गतिविधियां की जा रही हैं;
- डीएमआरसी द्वारा एक्जीबिशन हाल-3 के अंतर्गत सुरंग संबंधी कार्य पूरा हो गया है और आगे निर्माण कार्य करने के लिए एलएंडटी को सौंप दिया गया है।
- ईपीसी कांट्रेक्टर, पीएमसी और अन्य सभी स्टेकहोल्डरो के साथ प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही है। वेन्यू ऑपरेटर के रूप में काईनटेक्स, आईआईसीसी के विकास संबंधी प्रक्रिया को डिजाइन करने में संलग्न है और काईनटेक्स द्वारा सुझाए गए सुझावों को शामिल किया गया है।

- आईआईसीसी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से एसबीआई द्वारा 2150.16 करोड़ रूपए का अवधि ऋण को अंतिम रूप दिया गया है;
- बीएसईएस द्वारा आईआईसीसी प्लाट तक फीडर केबल बिछाने और जीआईएस सबस्टेशन प्रापण का कार्य पूरा हो गया है।
- एनएचएआई द्वारा बाहरी संपर्कता को विकसित करने के लिए 18.66 एकड़ भूमि के अंतरण करने हेतु डीडीए को अग्रिम भुगतान के लिए आईआईसीसी से एनएचएआई को 92.39 करोड़ रूपए अंतरित किए गए है।
- एनएचएआई को सौंपा गया द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर-II को विकसित करने का कार्य (जिसमें आईआईसीसी कॉम्पलेक्स तक सड़क संपर्कता शामिल है) शुरु हो गया है।
- डीडीए ने आईआईसीसी लिमिटेड को आईआईसीसी साइट (साऊथ साईट) से जुड़ी ग्रीन बेल्ट में 34 हेक्टेयर भूमि में पेड़ लगाने और सार्वजनिक पार्क के रूप में बनाए रखने की अनुमति दे दी है।
- दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य 01 नवंबर, 2019 से 09 दिसंबर 2019 तक रूके रहे और 10 दिसंबर, 2019 (प्रातः 6:00 बजे से सांय 6:00 तक) को फिर से शुरू किए गए।
- मिश्रित-उपयोग विकसित क्षेत्र के अनुसार ऑफिस ब्लॉक (प्लॉट नं. 19, 20, 22 एवं 23) और 4 एवं 5 सितारा होटल (प्लॉट न. 9 एवं 21) के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) 16 दिसंबर, 2019 को जारी किया गया। 15 जनवरी, 2020 को ऑफिस कॉम्पलेक्स प्लॉट के लिए बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार और बोलीदाताओं के अनुरोध पर प्रोजेक्ट देय तिथि और ऑफिस ब्लॉक एवं होटल दोनों के लिए ई-बोली को विस्तारित कर दिया गया।
- एमएसटीसी वेबसाइट पर 4 ऑफिस प्लॉट के लिए बोली प्रक्रिया 29 जून, 2020 को की गई थी। आईआईसीसी लिमिटेड ने प्लॉट के लिए आरक्षित मूल्य का मूल्यांकन स्वतंत्र परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता-मैसर्स कोलियर्स इंटरनेशनल और मैसर्स जेएलएल प्रोपर्टी कन्सलटेन्ट्स से प्राप्त किया है। 27 अगस्त, 2020 को रिपोर्ट आईआईसीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा बोली के विचारार्थ आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट को मूल्यांकन समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाए कि कोविड-19/लॉकडाऊन के कारण भारत सरकार तथा दिल्ली सरकार के निदेशों के अनुसार साइट पर निर्माण गतिविधियां 23 मार्च,

2020 से प्रभावित है। निर्माण गतिविधियां मई, 2020 से शुरु हो गई है लेकिन श्रमिकों की कमी के कारण कार्य की गति प्रभावित है।

अन्य औद्योगिक गलियारेः

क. चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी)

- समग्र गलियारे के लिए भावी योजना तैयार हो गई है और तीन नोड को विकसित किए जाने के लिए पहचाना गया है:
  i. कृष्णापट्टनम, आंध्र प्रदेश;
  ii. तुमकुरु, कर्नाटक; और
  iii. पोन्नेरी, तमिलनाडु

i. कृष्णापट्टनम, आंध्र प्रदेशः

- शेयरधारक समझौते (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित कर दिया गया है और 07 अगस्त, 2018 को 'एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड' के नाम से एसपीवी को निगमित किया गया।
- एक्टिवेशन क्षेत्र (2500 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया और एनआईसीडीआईटी द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर विचार किया गया है। तदनुसार, सीसीईए से अंतिम मंजूरी प्राप्त की जा रही है।

ii. तुमकुरु, कर्नाटकः

- शेयरधारक समझौते (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित कर दिया गया है और 1 नवंबर, 2018 को 'सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड' के नाम से एसपीवी को निगमित किया गया।
- एक्टिवेशन क्षेत्र (1736 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया और एनआईसीडीआईटी द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर विचार किया गया है। तदनुसार, सीसीईए से अंतिम मंजूरी प्राप्त की जा रही है।

iii.पोन्नेरी, तमिलनाडुः

- शेयरधारक समझौते (एसएचए) और स्टेस सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को 21 फरवरी, 2020 को निष्पादित किया गया है और प्रोजेक्ट एसपीवी को निगमित किया गया;

- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकारों के चयन से संबंधित गतिविधियों को शुरू किया गया है;

सीबीआईसी का कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार:

- एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को अपनी बैठक में कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक सीबीआईसी परियोजना के विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है;
- तदनुसार, पलक्कड़ (केरल) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए सलाहकारों का चयन किया गया और धर्मपुरी सलेम (तमिलनाडु) के लिए सलाहकार के चयन हेतु मूल्यांकन किया जा रहा है;
- एसएचए एवं एसएसए को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ख. <u>अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी) प्रोजेक्ट:</u>

- समग्र कोरिडोर के लिए भावी योजना तैयार कर ली गई है और चरण-I के अंतर्गत विकसित किए जाने के लिए सात इंडस्ट्रियल मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) की पहचान की गई है। ये आईएमसी राजपुरा-पटियाला (पंजाब), हिसार (हरियाणा), प्राग-खुरपिया फार्म (उत्तराखंड), भौपुर (उत्तर प्रदेश), गमहरिया (बिहार), बरही (झारखंड) और रघुनाथपुर (पश्चिम बंगाल) है;
- सभी पहचाने गए आईएमसी के लिए कन्सेप्ट मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है;

i. रघुनाथपुर, पश्चिम बंगाल

- शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) एवं स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को अंतिम रूप दिया जा रहा है;
- 2483 एकड़ भूमि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकार में है;
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां पूरी हो गई हैं;

ii. प्राग-खुरपिया फार्म्स, उत्तराखंड

- शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) एवं स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को अंतिम रूप दिया जा रहा है;
- उत्तराखंड राज्य सरकार के स्वामित्व में लगभग 1002 एकड़ भूमि है और विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकारों के चयन हेतु निविदा दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं;

iii. हिसार, हरियाणा

- हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि पूर्व में पहचानी गई साइट साहा के स्थान पर हिसार आईएमसी साइट को विकसित किया जा सकता है क्योकि भूमि (लगभग 3500 एकड़) राज्य सरकार के अधिकार में है;
- नई साइट अर्थात् हिसार के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकारों के चयन हेतु निविदा दस्तावेज टिपण्णी/सुझाव के लिए राज्य सरकार के साथ शेयर किए गए हैं और प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

ग. बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी) प्रोजेक्टः

- परिप्रेक्ष्य योजना पूरी हो चुकी है और अनुमोदित है।
- कर्नाटक में धारवाड़ नोड को कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता नोड के रूप में पहचाना गया है।
- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सांगली/सोलापुर नोड के विकास के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- धारवाड़ के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकारों के चयन हेतु निविदा दस्तावेज टिपण्णी/सुझाव के लिए राज्य सरकार के साथ शेयर किए गए हैं और प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

घ. ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीआईसी) प्रोजेक्टः

- ईसीआईसी कोलकाता-चेन्नई-तूतीकोरिन को जोड़ाता है;
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने अवधारणा विकास योजना को तैयार किया है और निम्न नोड को विकसित किए जाने के लिए पहचाना गया हैः
    - विशाखापट्नम (6,629 एकड़)
    - मछलीपट्नम (15,543 एकड़)
    - दोनाकोंडा (17,117 एकड़)
    - चित्तूर (26,731 एकड़)

i. ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीआईसी) के चरण-1 भाग के रूप में विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी)

- प्राथमिकता वाले नोड्स विशाखापत्तनम और चित्तूर हैं;
- एनआईसीडीआईटी ने वीसीआईसी के चरण -1 में विकास के लिए प्राथमिकता नोड्स के रूप में विशाखापट्टनम और चित्तूर को अपनी मंजूरी दी है;

- राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में कडप्पा को अतिरिक्त नोड के रूप में शामिल करने का भी अनुरोध किया है;
- राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कडप्पा और चित्तूर में भूमि की उपलब्धता के बारे में सूचित किया है और तदनुसार दोनो क्षेत्रों के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकारों के चयन हेतु निविदा दस्तावेजों को जारी कर दिया गया है;
- विशाखापट्नम साइट के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

ii. ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीआईसी) के रूप में ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी) प्रोजेक्ट ss

iii. एडीबी द्वारा अवधारणा विकास योजना (सीडीपी) को अंतिम रूप दिया गया है;

iv. खुर्दा-कटक-जगतसिंहपुर और जाजपुर-केंद्रपाड़ा-भद्रक को विकासित किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है;

v. राज्य सरकार ने ओईसी को एनआईसीडीआईटी के समग्र अधिदेश के हिस्से के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

ङ. हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर

- हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए तेलंगाना सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, एनआईसीडीआईटी ने निर्देश दिया था कि "तेलंगाना सरकार को एक व्यवहार्यता अध्ययन करना चाहिए और परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करनी चाहिए"।
- तदनुसार, तेलंगाना सरकार ने एक विस्तृत अध्ययन किया और हैदराबाद फार्मा सिटी की पहचान हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरियर के हिस्से के रूप में की गई है। इसके अलावा, जहीराबाद की पहचान हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में की गई है।
- अध्ययन के आधार पर, हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को शामिल करने के संबंध में प्रस्ताव एनआईसीडीआईटी के विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

च. <u>हैदराबाद बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचबीआईसी):</u>

- हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए हाल ही में भारत सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें निम्नलिखित नोड्स के विकास का प्रस्ताव दिया गया था:
    - ओरवकल
    - अनंतपुर
    - हिन्दुपुर

राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हाल की बैठकों के दौरान, परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की राज्य सरकारें शुरू में आपस में चर्चा करेंगी और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के कार्यान्वयन के बारे में एनआईसीडीसी से अपने दृष्टिकोण सूचित करेंगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से एचबीआईसी के लिए समर्थन और भूमि विवरण प्राप्त हुए हैं। हैदराबाद बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर में शामिल करने के संबंध में प्रस्ताव एनआईसीडीआईटी के विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

देश के दक्षिणी भाग में विभिन्न औद्योगिक गलियारे डीएफसीसीआईएल द्वारा प्रस्तावित ईस्ट कोस्ट डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना (डीएफसी) में विजयवाड़ा से खड़गपुर, ईस्ट वेस्ट डीएफसी योजना में भुसावल-नागपुर-राजखरस्वां-दानकुनी एवं भुसावल-नागपुर-राजखरस्वां-अंडाल और नार्थ साऊथ डीएफसी योजना में विजयवाड़ा से इटारसी का लाभ उठा सकते है जो वर्तमान में इन खंडों के लिए डीपीआर तैयार कर रही है।

इनके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श में दिल्ली नागपुर कोरिडोर के लिए परियोजना विकास कार्य शुरु किए जाएंगे।

डीएमआईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्मार्ट शहरों के लिए पुरस्कार और सम्मान

<u>धौलेरा स्मार्ट सिटी:</u>

1. जियोस्पेटियल एक्सीलेंस एवार्ड, मार्च, 2016
2. बेंटले "बी इन्सपायर्ड", मार्च, 2016
3. आईजीबीसी ग्रीन सिटी रेटिंग "प्लेटिनम", सितंबर, 2016
4. बेस्ट सिटी फॉर इंटीग्रेटिड प्लानिंग, फरवरी, 2017
5. बेस्ट ग्रीन सिटी, फरवरी, 2017

6. बेस्ट इनोवेटिव ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट, फरवरी, 2019

<u>औरिक स्मार्ट सिटी:</u>

1. औरिक हॉल - सर्वश्रेष्ठ कार्यालय भवन और सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर के लिए 2017 टाइम्स नेशनल एवार्ड;
2. 2018 नेशनल सेफ्टी कौंसिल अवसंरचना प्रोजेक्ट के लिए दूसरा स्थान 3.2 मिलियन सेफ मेनऑवर;
3. ई-लैंड मैनेजमेंट प्रणाली के लिए 2018 स्कॉच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट एवार्ड;
4. सैन फ्रांसिसको में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन नवाचारों के लिए 11 ईबीजे/सीसीबीजे एवार्ड: स्मार्ट सिटी एवार्ड टेक्नोलोजी मेरिट के लिए;
5. **टेक्नोलोजी मेरिट: स्मार्ट सिटी:** औरिक (औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी) को भविष्य की एक स्मार्ट, हरित औद्योगिक शहर में बदलने के लिए विस्तारित औरंगाबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, एकीकृत स्मार्ट प्रौद्योगिकियां और अगली पीढ़ी की अवसंरचना।

विपणन और प्रचार

- एक उद्योग विशिष्ट केंद्र बिंदु के रूप में भूखंडों का आबंटन करने के लिए व्यापक विपणन प्रयास किए जा रहे है। अविकसित भूखंडों को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों/डेवलेपरों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रयास के संबंध में संभावनाएं तलाशी जा रही है, ताकि सरकारी योगदान घटाया जा सके।

- वर्तमान में एसपीवी उद्योगों को रियायती शर्तों पर भूमि आबंटन को बढ़ावा देने के लिए भूमि प्रोत्साहन योजना तैयार कर रही है। एसपीवी उद्योगों से निवेश आकर्षित करने के संबंध में फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, फूड पार्क आदि जैसे प्राथिमकता वाले क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रोत्साहन का उपयोग करने के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर रही है।

- मुख्य उद्देश्य मांग से पूर्व अच्छी गुणवत्ता वाली अवसंरचना को तैयार करना है और विनिर्माण क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तत्काल आबंटन हेतु विकसित भूमि खंडों को तैयार रखना है और इस प्रकार वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत को मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाना है।

वित्तीय परिणाम सार

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, ट्रस्ट के मेन कार्प्स और एडिशनल कार्प्स के लिए भारत सरकार द्वारा क्रमश: 895 करोड़ रुपए और 55 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में ट्रस्ट का वित्तीय सार निम्नानुसार है:

(रु करोड़ों मे)

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2019-20 (बिना लेखा परीक्षित)**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 (लेखा परीक्षित)**
कार्प्स/पूंजी निधि	5655.90	4740.06
स्थायी परिसंपत्तियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निवेश	5199.61	4421.60
चालू परिसंपत्तियां	456.37	318.51
चिन्हित निधि	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चालू दायितांए	0.08	0.06
गैर-चालू दायितांए	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सकल आय	25.74	28.88
व्यय पर आय का आधिक्य/(कमी)	15.85	17.06

लेखा परीक्षक

ट्रस्ट डीड के परिच्छेद 13 के अनुसार, एनआईसीडीआईटी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन है।

भारत के राष्ट्रपति ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सीएंडएजी को एनआईसीडीआईटी की लेखा परीक्षा का कार्यभार सौंपा है।

वर्ष के दौरान, सीएंडएजी लेखा परीक्षा टीम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा और ट्रांसक्शन ऑडिट की है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

वर्ष 2019-20 के दौरान एनआईसीडीआईटी में कोई कर्मचारी नहीं था।

ट्रस्ट डीड के परिच्छेट 8.5 के अनुसार, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में और एनआईसीडीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध

निदेशक एनआईसीडीआईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

आभार

ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी ट्रस्टियों को ट्रस्ट में उनके निरंतर समर्थन, सहयोग और योगदान के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट
एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 19 अगस्त, 2020

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

संख्या/No. PDA/Infra/IHQ-I/27-47/2020-21/12

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 24-11-2020

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन,
नई दिल्ली।

विषयः- नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट (NICDIT) के वर्ष 31 मार्च 2020 के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट (NICDIT) के वर्ष 2019-20 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing Body) को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

अनुलग्नकः यथोपरि

हस्ता.
(रिना अकोइज़म)
प्रधान निदेशक

संख्या : PDA/Infra/IHQ-I/27-47/2020-21/123 दिनाँक : 24-11-2020

प्रतिलिपीः-

1 अध्यक्ष, नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट (NICDIT), 8वीं मंजिल, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124 , कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

(रिना अकोइज़म)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) जिसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) के दिनांक 1 सितंबर, 2014 के पत्र सं. 1 (27)-बी(आर)/2013 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट (ट्रस्ट) के संलग्न तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण ट्रस्ट के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

2. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोतम लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों और प्रकटन शर्तों आदि के साथ साथ अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन उपचारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडजी) की टिप्पणियां अंतर्निहित है। कानूनों का अनुपालन, नियम एवं नियामन (औचित्य और नियमितता) और कुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा प्रेक्षण, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा पृथक रूप से सूचित किया गया है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का नियोजन तथा प्रदर्शन इस तरह करे कि ये वित्तीय विवरण किसी भी भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त हो। किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों को समर्थ करने वाले साक्ष्यों को जांच आधार पर परीक्षण करना शामिल है। लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आंकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते है की हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (i) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;

   (ii) इस रिपोर्ट में देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में बनाए गए हैं।

   (iii) हमारे अभिमत में, 27 सितंबर, 2012 की न्यास विलेख की उपधारा 13.1 के अंतर्गत जैसी अपेक्षा की गई है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

द्वारा लेखा बहियों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों को उचित रूप से रखा गया है, जैसा इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

सहायता अनुदान

प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत सहायता अनुदान की स्थिति (प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार) निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड (पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु)**	**प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (परियोजना विकास गतिविधियों को करने के लिए)**
अथशेष	101.36	0.04
जोड़ेः 2019-20 के दौरान प्राप्त अनुदान	895.00	55.00
जोड़ेः 2019-20 के दौरान अर्जित ब्याज और लाभांश	6.92	0.0069
जोड़ेः डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड द्वारा ऋण पुनर्भुगतान	2.50	-
जोड़ेः डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेस लिमिटेड द्वारा ऋण पुनर्भुगतान	6.75	-
कुल उपलब्ध धनराशि	**1012.53**	**55.05**
घटाएः उपयोग की गई धनराशि	837.87	50.00
31.03.2020 को इतिशेष	174.66	5.05

(v) हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में देखे गए तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

(vi) हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोतम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उल्लिखित वित्तीय विवरण जिसे लेखांकन नीतियों और लेखों पर नोट के साथ पढ़ा जाए,

सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं;

(vii) जहां तक कि, यह 31 मार्च, 2020 को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्लीमेंटेशन ट्रस्ट के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है और

(viii) जहां तक कि, यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता.

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24 नवंबर, 2020

(रिना अकोइजम)
लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक (अवसंरचना)
नई दिल्ली

अनुलग्नक

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्लीमेंटेशन ट्रस्ट पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए)

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**
   वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा एक चार्टर्ड एकाऊंटेंसी फर्म द्वारा की गई है।
2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**
   आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन के आकार के अनुरूप है।
3. **स्थायी परिसंपतियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
   ट्रस्ट के पास कोई स्थायी परिसंपति नहीं है।
4. **स्टॉक के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
   ट्रस्ट के पास कोई स्टॉक नहीं है।
5. **सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता**
   ट्रस्ट आमतौर पर सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमित है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र
31 मार्च, 2020 को

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2019-20	2018-19
कार्प्स / पूंजी निधि और देयताएं			
कार्प्स/पूंजी निधि	1	56,55,90,34,039	47,40,05,82,863
आरक्षित और अधिशेष	-	-	-
चिन्हित/ बंदोबस्त निधि	-	-	-
ऋण और उधार	-	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	2	7,57,116	5,72,110
जोड़		**56,55,97,91,155**	**47,40,11,54,973**
परिसंपतियां			
स्थायी परिसंपतियां	-	-	-
निवेश	3	51,99,60,65,101	44,21,60,25,101
चालू परिसंपतियां, ऋण, अग्रिम आदि	4	4,56,37,26,054	3,18,51,29,872
जोड़		**56,55,97,91,155**	**47,40,11,54,973**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट	9		

उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अंतर्निहित भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

हस्ता.

(गुरूप्रसाद महापात्र)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 अगस्त, 2020

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

आय और व्यय लेखा
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2019-20	2018-19
आय			
अर्जित ब्याज	5	25,73,67,649	26,59,97,977
अन्य आय	6	-	2,27,55,993
जोड़ (क)		**25,73,67,649**	**28,87,53,970**
व्यय			
अन्य प्रशासनिक व्यय	7	9,89,16,473	11,81,25,734
जोड़ (ख)		**9,89,16,473**	**11,81,25,734**
आय का व्यय पर आधिक्य के बाद शेष (क-ख)		15,84,51,176	17,06,28,236
अतिरिक्त कार्प्स को अंतरित		77,890	51,20,754
सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतिरत		-	-
अधिशेष/(कमी) होने के कारण मुख्य कार्प्स/ पूंजी निधि में अग्रेषित		**15,83,73,286**	**16,55,07,482**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट	9		

उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अंतर्निहित भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

हस्ता.

(गुरूप्रसाद महापात्र)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 19 अगस्त, 2020

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

प्राप्ति और भुगतान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

प्राप्ति	2019-20	2018-19	भुगतान	2019-20	2018-19
I. अथशेष			I. व्यय		
क) रोकड़ शेष	-	-	अन्य प्रशासनिक व्यय	9,87,31,467	11,88,20,965
ख) बैंक शेष					
i) बचत खाते में	1,03,179	97,29,855	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया गया भुगतान		
ii) जमा खातों में	1,01,39,65,390	27,41,20,456	क) मुख्य निधि से		
			निम्न को जारी ऋण:		
			i) डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	50,00,00,000	50,00,00,000
II. प्राप्त अनुदान			ख) अतिरिक्त निधि में से		
क) मुख्य निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त	8,95,00,00,000	9,98,51,74,213	- एनआईसीडीसी लिमिटेड को जारी सहायता अनुदान	50,00,00,000	1,01,00,00,000
ख) अतिरिक्त निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त	55,00,00,000	98,48,25,787			
			III. निम्न में से किया गया निवेश और निक्षेप		
III. निम्न के निवेशों पर आय (अनुसूची 6 के संदर्भ में)			क) मुख्य निधि में से	7,78,00,40,000	9,47,98,52,220
क) मुख्य निधि	-	45,33,641	ख) अतिरिक्त निधि में से	-	-
ख) अतिरिक्त निधि	-	-			
			IV. स्थायी परिसंपत्तियों एवं चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय	-	-
IV. प्राप्त ब्याज					
क) बैंक जमाओं पर (टीडीएस के बाद)	6,19,53,817	10,56,92,135			
ख) बचत खातों पर	16,70,150	12,68,395	V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी	-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर (टीडीएस के बाद)	56,26,393	1,20,70,743			
			VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)	-	-
V. अन्य आय (अनुसूची 6 के संदर्भ में)					
क) मुख्य निधि	-	1,38,18,374	VII. अन्य भुगतान	-	-
ख) अतिरिक्त निधि	-	44,03,978			
			VIII. इति शेष		
VI. उधार ली गई राशि	-	-	क) रोकड़ शेष	-	-
			ख) बैंक शेष		
VII. अन्य कोई प्राप्तियां			i) बचत खातों में	79,221	1,03,179
निम्न द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान:			ii) जमा खातों में	1,79,69,68,241	1,01,39,65,390
(i) डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड	2,50,00,000	1,10,00,000			
(ii) डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेस लिमिटेड	6,75,00,000	6,00,00,000			
आयकर रिफंड	-	8,40,21,438			
आईआईसीसी लिमिटेड के लिए वहन किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	57,20,82,739			
जोड़	10,67,58,18,929	12,12,27,41,754	जोड़	10,67,58,18,929	12,12,27,41,754

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

हस्ता.

(गुरूप्रसाद महापात्र)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19 अगस्त, 2020

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च, 2020 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2019-20	2018-19
अनुसूची 1: कार्प्स/पूंजी निधि			
1.0. मुख्य कार्प्स/पूंजी निधि			
वर्ष की शुरूआत में शेष		47,39,04,56,679	37,23,97,74,984
जोड़े: कार्प्स/पूंजी निधि के लिए प्राप्त अंशदान		8,95,00,00,000	9,98,51,74,213
जोड़े/(घटाएं): आय एवं व्यय लेखों से अंतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष		15,83,73,286	16,55,07,482
वर्ष के अंत में शेष (क)		**56,49,88,29,965**	**47,39,04,56,679**
1.1. एनआईसीडीसी लिमिटेड के लिए अतिरिक्त कॉर्प्स (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित)			
वर्ष की शुरूआत में शेष		3,27,74,25,787	2,29,26,00,000
जोड़ें: अतिरिक्त कार्प्स/पूंजी निधि के लिए अंशदान		55,00,00,000	98,48,25,787
	(अ)	3,82,74,25,787	3,27,74,25,787
जोड़े: आय और व्यय लेखा से अंतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष			
- पिछले वर्षों के दौरान		38,14,27,397	37,63,06,643
- चालू वर्ष के दौरान		77,890	51,20,754
	(आ)	38,15,05,287	38,14,27,397
घटाएः एनआईसीडीसी लिमिटेड को जारी सहायता अनुदान के लिए उपयोग की गई राशि (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित)			
- पिछले वर्षों के दौरान		3,64,87,27,000	2,63,87,27,000
- चालू वर्ष के दौरान		50,00,00,000	1,01,00,00,000
	(इ)	4,14,87,27,000	3,64,87,27,000
वर्ष के अंत में शेष [ख = (अ) + (आ) - (इ)]		**6,02,04,074**	**1,01,26,184**
सकल जोड़ (क+ख)		**56,55,90,34,039**	**47,40,05,82,863**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2020 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2019-20	2018-19
अनुसूची 2 : चालू देयताएं और प्रावधान			
2.0. चालू देयताएं			
1. विविध लेनदार:			
(क) माल के लिए		-	-
(ख) अन्य		1,43,616	1,28,610
2. सांविधिक देयताएं			
(क) अन्य			
- स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस)		8,500	8,500
	(क)	1,52,116	1,37,110
2.1. प्रावधान			
1. अन्य			
(क) लेखा परीक्षा फीस के लिए प्रावधान			
- चालू वर्ष		1,70,000	1,70,000
- पिछले वर्ष		4,35,000	2,65,000
	(ख)	6,05,000	4,35,000
जोड़ (क + ख)		**7,57,116**	**5,72,110**
अनुसूची 3 : निवेश			
1. चिन्हित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश		-	-
2. निवेश - अन्य			
(क) शेयर			
निम्न के इक्विटी शेयरों में निवेश:			
- पीथमपुर जल प्रबंधन कंपनी लिमिटेड		17,15,00,000	17,15,00,000
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		55,93,00,000	55,93,00,000
- इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड		6,17,20,00,000	6,17,20,00,000
- औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड		22,52,70,00,000	17,52,70,00,000
- धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेव. लिमिटेड		19,95,54,08,351	17,45,54,08,351
- डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड		4,01,98,000	4,01,98,000
- डीएमआईसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड		5,00,00,000	5,00,00,000
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड		5,00,00,000	5,00,00,000
- डीएमआईसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड		2,04,82,58,750	1,96,67,18,750
- धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड*		24,24,00,000	4,39,00,000.00
- सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड		2,50,00,000	2,50,00,000.00
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड		2,50,00,000	2,50,00,000.00
(ख) अन्य			
- डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए मैसर्स एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) को जारी निधियां (अनुसूची-9 का संदर्भ नोट सं. 3)		13,00,00,000	13,00,00,000
जोड़		**51,99,60,65,101**	**44,21,60,25,101**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च, 2020 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2019-20	2018-19
अनुसूची 4 : चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि			
4.0. चालू परिसंपत्तियां:			
1. अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष:			
(क) जमा खातों में			
- मुख्य कार्प्स		1,74,65,46,460	1,01,36,10,390
- अतिरिक्त कार्प्स		5,04,21,781	3,55,000
(ख) बचत खातों में			
- मुख्य कार्प्स		25,524	50,818
- अतिरिक्त कार्प्स		53,697	52,361
	(क)	**1,79,70,47,462**	**1,01,40,68,569**
4.1. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां:			
1. निम्न को ऋण और अग्रिम:			
डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड		-	2,50,00,000
डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेस लिमिटेड		-	6,75,00,000
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		2,32,54,00,000	1,82,54,00,000
2. बैंकों के पास जमाओं पर अर्जित ब्याज:			
मुख्य कार्प्स		47,30,209	45,75,903
अतिरिक्त कार्प्स		6,625	115
3. निम्न से ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज:			
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		33,88,72,491	17,65,09,309
4. अन्य:			
स्रोत पर काटा गया कर			
- मुख्य कार्प्स		8,78,64,915	6,22,74,769
- अतिरिक्त कार्प्स		98,04,352	98,01,207
	(ख)	**2,76,66,78,592**	**2,17,10,61,303**
जोड़ (क + ख)		**4,56,37,26,054**	**3,18,51,29,872**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

आय एवं व्यय के भाग बनने वाले नोट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

विवरण	2019-20	2018-19
अनुसूची 5 : अर्जित ब्याज		
(1.) अवधि जमाओं पर (अनुसूचित बैंक के पास):		
(क) मुख्य कार्प्स	6,90,10,976	11,28,82,992
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - 69,24,635/-		
(पिछले वर्ष - 1,12,88,345/-)]		
(ख) अतिरिक्त कार्प्स	31,436	6,24,969
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - 3,145/-		
(पिछले वर्ष - 1,24,054/-)]		
(2.) बचत खातों पर (अनुसूचित बैंक के पास):		
(क) मुख्य कार्प्स	16,23,696	11,76,588
(ख) अतिरिक्त कार्प्स	46,454	91,807
(3.) ऋण पर:	18,66,55,087	15,12,21,621
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 1,86,65,510/- (पिछले वर्ष - ₹ 1,51,22,162/-)]		
जोड़	**25,73,67,649**	**26,59,97,977**
अनुसूची 6: अन्य आय		
आयकर रिफंड पर ब्याज		
(क) मुख्य कार्प्स	-	1,38,18,374
(ख) अतिरिक्त कार्प्स	-	44,03,978
लाभांश आय	-	45,33,641
जोड़	**-**	**2,27,55,993**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

आय एवं व्यय के भाग बनने वाले नोट

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

विवरण	2019-20	2018-19
अनुसूची 7 : अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) सर्विस फीस	9,77,04,472	11,77,62,257
ख) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक		
- चालू वर्ष	1,70,000	1,70,000
- पिछले वर्ष	-	5,320
ग) फाइलिंग फीस पर व्यय	166	200
घ) पेशेवर और परामर्श फीस	1,19,108	94,000
ड़) बैठक और कांफ्रेंस व्यय	21,049	19,411
च) पूर्व अवधि व्यय	-	35,000
छ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	3,33,772	7,834
ज) शेयर अभौतिकीकरण व्यय	5,54,427	9,543
झ) अन्य		
- विविध व्यय	13,479	22,169
जोड़	**9,89,16,473**	**11,81,25,734**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.0 लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा न कहा जाए ऐतिहासिक लागत और लेखांकन की प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किया गया है।

2.0 दीर्घकालिक निवेश

दीर्घकालिक निवेश को अभिग्रहण की प्रासंगिक लागत सहित वास्तविक लागत पर प्रदर्शित किया गया है।

3.0 स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 स्थायी परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो तो, घटाकर प्रदर्शित किया गया है;

3.2 जैसा प्रबंधन द्वारा अपेक्षा की गई है, अभिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक परिसंपत्तियां उपयोग के लिए तैयार न हो;

3.3 स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित उत्तरवर्ती व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ ट्रस्ट को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। वहन की गई मरम्मत और अनुरक्षण लागत को आय और व्यय लेखा में प्रदर्शित किया जाता है;

3.4 मूल्यह्रास को ह्रासित मूल्य प्रणाली (डब्ल्यूडीवी) पर मूल्यह्रास की जाने वाली राशि तक आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित होता है।

4.0 सरकारी अनुदान

4.1 ट्रस्ट निम्न के लिए भारत सरकार से पृथक रूप से गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान प्राप्त करता है:

(i.) ट्रस्ट के मुख्य कार्प्स के लिए "पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन" को "कार्प्स/पूंजी निधि" के अंतर्गत "मुख्य कार्प्स" में दर्शाया गया है; और

(ii.) परियोजना विकासात्मक गतिविधियों को करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के रुप में विदित) को दिए जाने वाले चिह्नित "सामान्य" को "कार्प्स/पूंजी निधि" के अंतर्गत "अतिरिक्त कार्प्स" के रूप में दर्शाया गया है।

यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षणों के अनुसार किया गया है।

4.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

5.0 राजस्व स्वीकरण

5.1 आय को प्रोद्भवन आधार पर स्वीकारा जाता है।

5.2 "मुख्य कार्प्स" और "अतिरिक्त कार्प्स" की अधिशेष निधि पर अर्जित ब्याज को इन संबंधित शीर्षों के अंतर्गत विशेष रूप में दर्शाया जाता है। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रेक्षण के अनुसार किया गया है।

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

6.0 अन्य प्रशासनिक व्यय

अन्य प्रशासनिक व्ययों को "मुख्य कार्प्स/पूंजी निधि" के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान की अधिशेष निधि पर ब्याज आय से पूरा किया जाता है।

7.0 सर्विस फीस

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के रुप में विदित) द्वारा दी गई सेवाओं के लिए सर्विस फीस को 26 जुलाई, 2016 से प्रभावी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड (पीआईएफ) में विभिन्न परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा जारी निधियों के 1 प्रतिशत की दर से (एक वर्ष में 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन) प्रोद्भवन आधार पर दर्शाया जाता है।

8.0 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में व्यय को लेन-देन की तिथि पर विनिमय की प्रचलित बाजार दर पर लेखाबद्ध किया जाता है और विदेशी मुद्राओं में आय इन मुद्राओं से वसूली गई कीमत पर लेखाबद्ध की जाती है।

9.0 लीज

लीज को परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां पट्टादाता लीज अवधि के दौरान सभी जोखिमों और स्वामित्व के लाभों को अपने पास रखता है। लीज अनुबंध की शर्तों के अनुसार परिचालन लीज के भुगतान को प्रोद्भवन आधार पर आय और व्यय विवरण में व्यय के रूप में स्वीकारा जाता है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

1.0 न्यास विलेख के निष्पादन द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2012 को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड) का गठन किया गया था।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने मौजूदा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट के साथ अन्य इंडस्ट्रियल कोरिडोरों यथा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी), बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी), चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) और इसका कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार (30 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी 4वीं बैठक मे एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित) और ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल करिडोर (ईसीआईसी) के अंतर्गत विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी) परियोजना को शामिल करने के लिए ट्रस्ट के अधिदेश का विस्तार करने और इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन:नामित करने के लिए दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को भारत सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में दिए गए अनुमोदन को दिनांक 22.12.2016 के आदेश सं. 11/1/2016 द्वारा सूचित किया।

2.0 15 सितंबर, 2011 को भारत सरकार से अनुमोदित वित्तीय और संस्थानिक संरचना के अनुसार दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) में भारत सरकार, औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 2011-12 में शुरू होकर अगले पांच वर्षों में 17,500 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान देगी। परियोजना विकासात्मक गतिविधियां करने और परियोजना विशिष्ट एसपीवी के निर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों की सीमा में प्रोजेक्ट विशिष्ट एसपीवी वाली सेक्टोरल होल्डिंग कंपनियों के निर्माण हेतु अगले पांच वर्षों में सहायता अनुदान के रूप में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) (पूर्व में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) के नाम से विदित) को देने के लिए ट्रस्ट को 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कार्प्स दिया जाएगा।

भारत सरकार ने 07 दिसंबर, 2016 को अपनी बैठक में 31 मार्च, 2022 तक की विस्तारित अवधि में 1584 करोड़ रुपए (अर्थात अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए 1500 करोड़ रुपए और एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक व्यय के लिए 84 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त स्वीकृति सहित उपर्युक्त अनुमोदित वित्तीय सहायता उपयोग करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है।

वर्ष के दौरान, मुख्य कार्प्स/पूंजी निधि में 895/- करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 998.52 करोड़ रुपए की राशि) और अतिरिक्त कार्प्स के लिए 55 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 98.48 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त की गई थी।

भारत सरकार के योगदान को परिक्रामी कार्प्स निधि के रूप में उपयोग किया जाएगा।

3.0 आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीइए) ने 6.00 मैगा वाट मॉडल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) द्वारा ट्रस्ट की 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश हेतु अपनी 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली "डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड" नामक एसपीवी को जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य कार्प्स/पूंजी निधि में से एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) को 13,00,00,000/- (केवल तेरह करोड़ रुपए) की राशि अंतरित की गई थी। इस तरह के निवेश में वृद्धि एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आ जाएगी। जारी की गई राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की कार्प्स निधि से घटा दी गई थी।

लेन-देनों के प्रकटन के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडऐजी) के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मतानुसार, ट्रस्ट की मुख्य कार्प्स /पूंजी निधि से घटाई गई राशि को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुन: जोड़ा गया था।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

4.0 कर्मचारी हितलाभ

ट्रस्ट के पास कोई कर्मचारी नहीं है। रिटायरमेंट सहित कर्मचारी हितलाभ के मद में देयता का प्रावधान शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

5.0 आकस्मिक देयताएं

ट्रस्ट की आकस्मिक देयता शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

6.0 पूंजीगत वचनबद्धताएं

ट्रस्ट की पूंजीगत वचनबद्धताएं शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

7.0 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन के अभिमत और उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम व्यापार की सामान्य विधि से प्राप्य मूल्यों पर है जो तुलन पत्र में उल्लिखित की गई राशि से कम नहीं होगी।

8.0 करारोपण

आयकर निदेशक (छूट) ने 28 मार्च, 2013 को ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन के उत्तर मे वर्ष 2013-14 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए जिसे धारा 12एए के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत पंजीकरण को दिनांक 13 अगस्त 2013 के आदेश पत्र द्वारा प्रदान किया है। तदनुसार, ट्रस्ट ने आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, ट्रस्ट की आय में से 11,98,46,028/- रूपए (पिछले वर्ष 12,73,15,140/- रुपए) अलग रखे जाएंगे जिसे औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों के अंदर अर्थात् 31.03.2025 तक उपयोग किया जाएगा।

वितीय वर्ष 2018-19 तक अलग रखी गई राशि को औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य से पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है।

	राशि (₹) 2019-20	राशि (₹) 2018-19
9.0 विदेशी मुद्रा मे लेन-देन		
9.1 विदेशी मुद्रा में आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.2 विदेशी मुद्रा में व्यय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.0 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		
10.1 लेखा परीक्षक फीस		
- चालू वर्ष के लिए	1,70,000	1,70,000
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए	-	5,320
10.2 कर संबंधी मामलों के लिए	-	-
10.3 अन्य सेवाओं के लिए	-	-

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

11.0 परियोजना विकास व्यय

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के प्रेक्षणों के अनुसार, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था, और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच संबंधित सहायक उपक्रमों/गठित एसपीवी को परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) (पूर्ववर्ती दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) द्वारा वहन किए 'परियोजना विकास व्यय' अंतरित करने के मामले को दिनांक 06.03.2018 की एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल की तीसरी बैठक में विचारार्थ रखा गया।

न्यासी मंडल के निर्देशों के अनुसार एनआईसीडीसी लिमिटेड को सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई परियोजना विकास निधि में से उल्लिखित सहायक उपक्रमों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में एनआईसीडीसी द्वारा वहन किए गए 'परियोजना विकास व्यय' संबंधित एसपीवी को अंतरित कर दिए गए हैं और एसपीवी द्वारा पर्याप्त अधिशेष निधि सृजित करने में सक्षम होने तक इसकी वसूली रोक दी गई है।
इसके अतिरिक्त, एनआईसीडीसी लिमिटेड की लेखांकन नीतियों के अनुसार, परियोजनाओं के लिए वहन किए गए परियोजना विकास व्यय जिन्हें शुरू नहीं किया गया है अथवा कोई गतिविधि नहीं की जानी है एवं एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य(यों)/नोडल एजेंसियों के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट इस प्रकार की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है, उन्हें एनआईसीडीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में 'पूंजी संचय' के अंतर्गत 'परियोजना विकास निधि' से घटाया जाता है।

12.0 प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्ति और भुगतान लेखा को वर्ष के दौरान रोकड़ अंतर्वाह और बहिर्वाह के आधार पर तैयार किया गया है। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के प्रेक्षणों के आधार पर है।

13.0 ट्रस्ट के परिचालन पर कोविड-19 का प्रभाव

ट्रस्ट अपने आकलन और व्यापार के स्वरूप के आधार पर विश्वास करता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का ट्रस्ट के परिचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

14.0 जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया हो, पिछले वर्ष के लिए तदनुरूपी आंकड़ों को पुन:समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

15.0 अनुसूची 1 से 9 जोड़े गए है जो 31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए आय और व्यय लेखा के आंतरिक भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

(गुरूप्रसाद महापात्र)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 अगस्त, 2020

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT)

ANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL YEAR 2019-20

Proforma for furnishing the relevant details in respact of the Organization referred to on para 02 of the OM no. LAFEAS-CBII067/18/2019-CB-II dated 23.10.2019 of Lok Sabha Secretariat

Name of the Ministry:- Ministry of Commerce and Industry
Name of the Department: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
Name of Organization: National Industrial Corridor Development & Implementation Trust

Sr. No.	Particulars	Remark		
1	Please specify, whether the organization is Autonomous/Statutory Body, Joint Venture, Corporation, Public Undertakings, etc.	Trust		
2	The Year of inception of the organisation	2012		
3	Whether the organisation is under the administrative control of the Ministry/Department concerned	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)		
4	The Act/Rule/Regulation governing the Organization	Deed of Trust and Indian Trust Act, 1882 and General Financial Rules (GFR), 2017		
5	Whether the Act/Rule/Regulation mentioned at SL No.4 above contains provisions for laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Organization on the table of the House? **(Indicate YES or NO)** *(Please enclose a copy of the Act/Rules/Regulation)*	Yes (Rule 237 of GFR, 2017 are attached)		
6	If answer to SL No.5 above is **YES**, indicate the time frame stipulated therein for laying these reports.	31st December		
7	Whether the organization has received financial assistance (one time/recurring/annually) from the Ministry/Depattment concerned.	Annually		
8	Whether the Annual Reports and Audited Accounts cifthe Organization are being laid on the table of the House; continuously since its inception **(Indicate YES or NO)**	Yes		
9	If answer to SL No. 8 above is **YES**, indicate the date(s) of laying the requisite documents on the table of the House for the last three years i.e., 2016-17, 2017-18 and 2018-19.	**Year**	**Lok Sabha**	**Rajya Sabha**
		FY 2016-17	02.04.2018	28.03.2018
		FY 2017-18	17.07.2019	26.07.2019
		FY 2018-19	21.09.2020	No
10	If the answer to SL. No. 8 above is **NO**; mention the years for which the requisite documents have not been laid by the Organisation, since its inception, alongwith the reasons thereof and the time by which the same are expected to be laid on the table of the House.	Annual Report and Audited Annual Accounts for the FY 2018-19 were sent to DPIIT on 28th August, 2020 for placing the same on the Table of both the Houses of Parliament. However, the same were laid in the Lok Sabha but could not be laid in the Rajya Sabha in the previous session of the Parliament and will be placed in the forthcoming session of the Parliament.		

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

CONTENTS

S. No.	Particulars	Page No.
1	Annual Report for the financial year 2019-20	46 - 64
2	Separate Audit Report issued by the Comptroller and Auditor General of India on the Annual Account for the year ending 31st March, 2020	65 - 69
3	Certified Annual Accounts for the financial year 2019-20	70 - 81

ANNUAL REPORT
(FINANCIAL YEAR 2019-20)

In accordance with the approval of Government of India on 15th September, 2011, DMIC Project Implementation Trust Fund was incorporated on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

The Government of India accorded approval for expanding the mandate and scope of Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) by order dated 22nd December, 2016 and re-designated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country. NICDIT will function under the administrative control of the Department for Promotion of Industy and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India . The Government has also approved constitution of a Board of Trustees of NICDIT with the following composition:

1. Secretary, DPIIT, Chairperson;
2. Secretary, Department of Expenditure, Member;
3. Secretary, Department of Economic Affairs, Member;
4. Secretary, Road Transport & Highways, Member;
5. Secretary, Shipping, Member;
6. Chairman, Railway Board, Member;
7. CEO, NITI Aayog, Member; and
8. CEO, NICDIT, Member Secretary

The role, responsibilities and functions of NICDIT are as follows:

a) Establishing an enabling institutional, financing and operational framework for the development of Industrial Corridors;

b) Considering proposals received from different state Governments/UTs for establishing new Industrial corridors, Nodes, Early Bird Projects and Standalone projects;

c) Appraising all project proposals and sanction of equity or loan or both to SPVs and grants for project development as per approved delegation of financial powers;

d) Supporting project development activities in Industrial Corridors through Knowledge Partner(s), Special Purpose Vehicles (SPV's) and State Governments and assisting States in identifying Anchor Investors for industries;

e) Raising funds as debt/equity as per requirement, leveraging resources provided by Government of India and providing Equity/Debt to the SPVs formed in joint venture with State Governments/other stakeholders for implementation of projects;

f) Entering into agreements with the State Governments/ Project specific SPVs/public or private organizations, as may be required from time to time. to give effect to the modalities outlined in previous paragraphs;

g) Providing funds for land acquisition through existing mechanisms of States for specifically identified Strategic Early Bird Projects which could be developed on PPP models. However, land for city / node development will necessarily be the equity of the State and will be acquired and fully paid for by them.

h) NICDIT shall maintain accounts in the form prescribed by the Government on the advice of the C&AG of India and the accounts shall be subject to audit by the C&AG of India.

The Institutional Framework of NICDIT is as under:

a. The Board of NICDIT shall approve and sanction the optimal mix of debt and equity, choice of financial instruments, quantum of funds, terms and conditions and disbursement schedule from the grant provided by GoI, to the SPVs after taking into account inter alia, the progress of land acquisition and actual execution of works at each industrial city. Similarly, grant to knowledge partner(s) for project development will be given in phases as per progress of work.

b. NICDIT will leverage the resources provided by the Government of India to raise long-term funding from financial institutions and also, after obtaining due approvals, raise tax Free Bonds, Capital Gain Bonds, Credit Enhancement, etc. for supporting the development of Industrial Corridors.

c. GoI's contribution to NICDIT will be used as a revolving corpus. Investments into the SPVs by GoI will be routed through NICDIT so that all debt service payments by SPVs and proceeds from equity disinvestment from SPVs, including SPVs developed by NICDC so far, by utilizing grants given by the GoI can be ploughed back into the Corpus, enabling NICDIT to undertake the development of more such industrial cities in future. The nodal / city level SPVs may further raise long-term debt finance through credit enhancement by appropriate guarantees from Government of India / State Government, so that it becomes viable for investment by insurance and pension funds. The nodal / city level SPVs will seek to employ innovative infrastructure funding and delivery tools such as user fee funding, pricing innovations, and delivery through various PPP arrangements. Funds raised by the State Government / SPVs as loans or otherwise also will count towards State's contribution.

d. For financial support to PPP projects, the extant guidelines for their Formulation, Appraisal and Approval as in Central Sector infrastructure projects shall be followed. Such projects would be eligible for Viability Gap Funding (VGF) in accordance with the prevalent policy. Secretary, DIPP and Member- Secretary, NICDIT will be members of the Public Private Partnership Approval Committee (PPPAC) for Industrial Corridor projects. In order to ensure coordinated development in consonance with the Master Plans / Development Plans, all proposals for VGF in the Industrial Corridors will be examined and recommended by NICDIT.

e. Each industrial city / node will be supported by GoI to an average of Rs.2500 crore subject to a maximum extent of Rs.3000 crore depending on the geographical location, size, contribution of the State and the development needs. The actual requirement may vary for each city / node, depending upon the cost of land and infrastructure development and the ability of the respective State Governments to mobilise financial resources for land procurement / land pooling. The State Government's contribution will be by way of land or any other funds raised by it from any source including bi-lateral / multi-lateral funding. While the total requirement per city for non-PPP projects may be much larger and would vary from city to city, the above amount is being sought from the Government of India to trigger the first phase of development of these industrial cities / nodes. Subsequently, funds will be raised through internal monetization etc.

Delegation of Powers

NICDIT will appraise all proposals for non-PPP projects placed before it. Based on appraisal by NICDIT Board, it will approve projects valuing upto a sum of Rs. 300 crore as hitherto. Approval of Minister-in-charge will be obtained in case of projects valuing more than Rs. 300 crore and up to Rs. 500 crore. Proposals above Rs. 500 crore but upto Rs.1000 crore will be approved by the Minister-in-charge of Ministry of Commerce & Industry and Finance Minister. All proposals exceeding Rs. 1000 crore will be submitted to the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) for obtaining approval.

During the year 2019-20, the Board of Trustees held meeting on 30th August, 2019.

Planning of DMIC Nodes and their Sustainability Features adopted:

DMIC nodes under development adopts a sustainable approach that forms the ground work to aid the evolution of a Low Carbon City (LCC), including planning for Open green spaces, public transit and transit oriented development (TOD), encouraging the use of renewable energy, minimising the use of conventional energy, optimizing the conservation and recycling of water, and recovery and recycling of solid waste materials. Following are the key features of the Trunk infrastructure which are adopted in all nodes:

a) All Utilities are planned to be underground which leads to better usage of land.They are also outside the carriage way so that during maintenance and other works, the main carriageway is not affected.
b) The bus stations are planned within preferable walking distance of 400 m. Better last mile connectivity options provided to increase accessibility. Provision for Bus Bays/Bus Stops to minimize the effect on traffic.
c) Waste water will be collected and recycled from STP and CETP and redistributed to the City for non-potable purpose. SCADA system will be used to prevent any overflows and to maintain efficiency. Adoption of zero liquid discharge (ZLD) for sustainable solutions. Separate sewer lines for industrial and residential lines.
d) Conservation of water through rain water harvesting is adopted at city level. In Dholera for instance a 100-meter wide open channel with more than 2500 Million litres of capacity will be used for water harvesting, irrigation for parks and gardens as well as for non-potable purpose etc.

e) The entire infrastructure for Green field City is planned with SCADA, sensors and automation to generate real time information and to operate & manage it in efficient manner. This will facilitate Intelligent transport management, E-governance, Digital health & Education, Emergency and City operations.
f) Planning for Green spaces by categorization of hierarchy for open green spaces which are as follows:
    i. Neighbourhood parks within five minutes walking;
    ii. Community parks within Ten minutes walking;
    iii. Liner Park along the storm water canal within the city.
g) Planned for safe and sustainable Multi Modal Transportation System integrated with public transportation modes and non – motorized modes.
h) Planned electric charging stations at major transit interchanges with parking facilities in the clusters with social infrastructure.
i) All the lakes being improved and additional canals have been planned to increase the retention of water and also provide recreational area to the residents.
j) Wide sidewalks and cycle track for residents to walk from home and reduce pollution.
k) An extensive Web based GIS application for visualization of all plots and assets. A comprehensive online land management system for investors to get information, apply for land and follow their application through to allotment.

Overall Review of the Business and Operations

The salient features of the progress of projects at a glance is as under:

1. In case of DMIC project, the construction of trunk infrastructure related activities are in full swing at the following four locations:

    - Activation area for Dholera Special Investment Region in Gujarat admeasuring 22.5 sq. kms;
    - Phase-1 of Shendra Bidkin Industrial Area in Maharashtra admeasuring 18.55 sq. kms;
    - Integrated Industrial Township Project at Greater Noida, Uttar Pradesh admeasuring 747.5 acres;
    - Integrated Industrial Township Project at Ujjain, Madhya Pradesh admeasuring approx. 1100 acres.

2. The land Allotment policies have been finalized. 3 plots in Dholera Special investment Region in Gujarat, 5 plots in Integrated Industrial Township at Greater Noida in Uttar Pradesh, 1 plot in Integrated Industrial Township Vikram Udyogpuri in Madhya Pradesh and 59 plots in Shendra Bidkin Industrial Area in Maharashtra have been allotted;

3. Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) has been executed for Krishnapatnam Node in Andhra Pradesh and Tumakuru Node in Karnataka and project SPV's have also been incorporated;

4. Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) has been executed for Ponneri Node in Tamil Nadu and the activities for the incorporation of the SPV have been initiated;

5. NICDIT in its meeting held on 30th August, 2019 has accorded its approval for extension of Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) Project to Kochi via Coimbatore and the two nodes have been identified namely Palakkad (Kerala) and Dharmapuri Salem (Tamil Nadu);

6. NICDIT also accorded its approval for development of Vishakhapatnam (Nakapalli Cluster) and Chittoor (south cluster) as priority nodes in Phase-A of Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC);

7. Apart from the above highlighted projects, project developmental activities are also being taken forward for the following projects:

   - Mass Rapid Transit System (MRTS) Project from Gurgaon to Bawal in Haryana and Ahmedabad to Dholera in Gujarat;
   - Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) Project, Nangal Chaudhary at Haryana;
   - Multi Modal Logistics Hub (MMLH) and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Dadri, Uttar Pradesh;
   - Multi Modal Logistics Park at Sanand in Gujarat;
   - Greenfield International Airport Project at Dholera in Gujarat;
   - Aerotropolis Project at Rajasthan;

The state-wise progress of DMIC Project is as under: -

GUJARAT

Dholera Special Investment Region (DSIR):

- Preliminary Engineering works for various trunk infrastructure components has been completed;
- Programme Managers are undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities;
- SPV by the name of "Dholera Industrial City Development Limited" has been incorporated. State Govt. has transferred 37.22 sq. kms to the SPV and matching equity has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust) amounting to Rs. 2145.54 crore;
- MoEF&CC has provided Environmental Clearance for Dholera Special Investment Region;

- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various trunk infrastructure components for Activation Area of Dholera for Rs. 2784.82 crore divided into five packages, the individual status is indicated as under:

  - EPC for Roads and Services Contract (INR 1,734 crore). L&T is the EPC Contractor; Physical progress upto July 2020 – 83.10%;
  - EPC for ABCD Building Contract (INR 72.31 crore). Cube Construction Engineering Ltd. is the EPC Contractor and work has been completed;
  - EPC for Water Treatment Plant (WTP) Contract (INR 90 crore). SPML is the EPC Contractor; Physical progress upto July 2020 – 30.00%;
  - EPC for Sewage Treatment Plant (STP) Contract (INR 54 crore). L&T is the EPC Contractor; Physical progress upto July 2020 – 66.65%;
  - EPC for Central Effluent Treatment Plant (CETP) contract (INR 160 crore). L&T is the EPC Contractor; Physical progress upto July 2020 – 43%;

- ICT consultants have been appointed and the 06 bid proposals have been received for Master System Integrator (MSI) for implementation of various smart city components ;
- Land allotment policy has been finalized and 03 plots admeasuring 152.71 acres have been allotted to TATA Chemicals (126 acres as the anchor investor), Torrent power (20.78 acres) and Hindustan Petroleum Corp. Ltd. (5.93 acres);
- Road shows and round table conferences are being organized to create awareness and to attract anchor tenants/ investors;
- Out of the 1000 MW being managed by Gujarat Power Corporation Limited (GPCL), a total of 300 MW has been awarded to Tata Solar Power Limited. For remaining 700 MW, Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL) has issued tender and the bids have been invited.

Multi Modal Logistic Park (MMLP) at Sanand, Gujarat (500 acres):

- Techno-Economic Feasibility Study (TEFS) is being finalized by the Project consultants;
- Discussions are underway with Western railways and DFCCIL to finalize the best possible rail connectivity option to the MMLP site;
- The connectivity plan for the proposed project has been prepared and the same has been presented to the State Govt., DFCCIL & MOR for review and approval;
- Land is in the possession of the State Govt.;
- State Govt. has given concurrence on the Shareholder's agreement (SHA) for formation of the SPV and the draft SHA has been considered and approved by NICDIT.

MRTS between Ahmedabad and Dholera, Gujarat:

- DPR for MRTS prepared and approved by the State Govt.;
- Project has been included in JICA Rolling Plan for DMIC Project;
- Land acquisition for the MRTS Project has been done as part of RoW of expressway project from Ahmedabad to Dholera;

- DPR for Expresswat Project has been finalized by NHAI and DSIRDA has handed over the land within DSIR to NHAI for implementation;
- Bids received by NHAI for construction of four packages for the Expressway for entire stretch are under evaluation;
- Discussions are underway with State Govt. for finalizing the implementing agency for MRTS project.

Greenfield International Airport at Dholera in Gujarat:

- Consortium of M/s PwC has been appointed as the Transaction Advisor;
- Environment Clearance has been obtained from MoEF&CC. Ministry of Civil Aviation has granted "in principle" clearance to the project;
- State Govt of Gujarat has agreed to make available 1426 Ha of land on lease rent of Rs. 1 per annum for 30 years further expandable to another 30 years;
- Board of AAI has approved DPR and the proposal of 51% equity participation in the project;
- Shareholders Agreement (SHA) was signed between AAI, Govt. of Gujarat & NICDIT on 25.03.2019;
- NICDIT as part of its equity (16%) has released Rs. 24.24 crore;
- RITES has been appointed as the Engineering Consultant for the project;
- Flood mitigation plan is being finalized by Govt. of Gujarat's Irrigation Department while soil investigation is being conducted by IIT, Gandhi Nagar.

Bhimnath Dholera Rail Line Project:

- The Board of SPV-DICDL has approved the estimated cost of the project as finalised by Western Railways during the meeting held on 6th September, 2017;
- The project will be implemented by DICDL as per the Non-Govt. Railway (NGR) model of MoR. The project will be implemented as a joint venture between NICDIT and Govt. of Gujarat and project cost will be funded by 100% equity;
- DPR report has been submitted by the consultant and has been submitted to Western Railways for their concurrence/approval;
- The land acquisition plans have been finalized for area outside DSIR. Land acquisition has been initiated by DSIRDA and the details have been forwarded to the District Collector of Botad and Ahmedabad. Online application has been submitted to MoEF&CC for forest clearance required for 2.8 kms of rail alignment passing through reserved forest area and is under process with State Govt.

MAHARASHTRA

Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA):

- Preliminary Engineering works for Phase-1 of SBIA (8.39 sq. kms) has been completed;
- Programme Managers are undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities;

- Node/City level SPV by the name "Aurangabad Industrial Township Limited" (AITL) has been incorporated. State Govt. has transferred 8.39 sq kms to the SPV and the matching equity has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust)) amounting to Rs. 602.80 crore;
- Environment Clearance for Shendra-Bidkin Industrial Area has been granted by MoEF&CC;
- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various trunk infrastructure components for Shendra Industrial Area for Rs. 1533.44 crore. Further the individual status of various packages is indicated as under:

  - EPC for Roads, Drains, Culverts, Water Supply, Sewerage and Power systems (INR 656.89 crore). Shapoorji Pallonji is the EPC contractor. Physical progress upto July 2020 – 92%;
  - EPC for construction of Road over Bridges (INR 69.45 crore). Patil Construction and Infrastructure Ltd is the EPC contractor. Physical progress upto July 2020 – 88.10%;
  - EPC for District Administration Building (INR 129 crore). Shapoorji Pallonji is the EPC contractor. The works has been completed and the building is in use;
  - EPC for Sewerage Treatment Plant (STP), Common Effluent Treatment Plant (CETP) & Solid Waste Management (INR 72.52 crore). Passavant Energy Ltd. is the EPC contractor. Physical progress upto July, 2020 – 80.00%;
  - EPC for Landscape and Irrigation Works (INR 112 crore). Shapoorji Palloni is the EPC Contractor. Physical progress upto July, 2020 – 17.00%;
  - ICT Master System Integrator (MSI) works (INR 142 crs). Honeywell is the selected agency. Physical progress upto July 2020 – 72.89%;

- Land allotment policy finalized and 59 plots admeasuring 203 acres have been allotted including industries in the Shendra Industrial Area. Hyosung Corporation of South Korea is the First Anchor Investor in Shendra Industrial Area. Other plots have been allotted majorly to Small and Medium Enterprises. 6 companies have started their commercial operations in Shendra Industrial Area;
- Project developmental activities for Bidkin are being taken forward and trunk infrastructure packages worth INR 6414.21 crore have been approved by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) [formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust)] and subsequently by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA);
- State Govt. has transferred 20.92 sq kmsto the project SPV for Bidkin Industrial Area and matching equity has been released amounting to INR 1744.90 crore;
- Potential of setting up of Mega Textile Park at Bidkin is also under discussion between GoI and Govt. of Maharashtra;
- Further the individual status of various packages is indicated as under:
  - L&T has been appointed as the EPC Contractor (INR 1223 crore) for Bidkin Phase-1 i.e. 10 sq. kms for roads and underground utilities/services & work is in progress. Physical progress upto July 2020 – 95.03%;
  - ICT Master System Integrator (MSI) works (INR 81.90 crs). KEC International Limited is the selected agency. Physical progress upto July 2020 – 42.05%.

Dighi Port Industrial Area:

- State Govt. has acquired the land for phase-1 i.e. 3000 Ha.
- M/s Egis India has been appointed for carrying out Detailed master planning and preliminary engineering activities for Dighi Industrial Area. The consultant has submitted the Final Master Plan to the SPV for review and approval.

MADHYA PRADESH

Pithampur Dhar Mhow Investment Region (PDMIR):

- State Support Agreement (SSA) and Shareholder's Agreement (SHA) has been executed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT), and State Govt. of Madhya Pradesh/MPTRIFAC for node/city level;
- Development Plan for PDMIR has been notified. Land acquisition for the node is yet to be initiated by the State Govt.

Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain:

- Share Purchase cum Shareholder's Agreement has been executed between NICDIT and MP Trade and Investment Facilitation Corporation Ltd. (MPTRIFAC) & MP Audyogik Kendra Vikas Nigam (MPAKVN). SPV with the name of "DMIC Vikram Udyogpuri Limited" has been incorporated;
- Land admeasuring 1100 acres has been transferred to the project SPV and the matching equity amounting to Rs. 55.93 crore has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- The agreement on "Supply of water from Water supply pipeline from Ujjayini to Ujjain to Industrial area Vikram Udyogpuri Ltd. in Ujjain" has been signed between with Narmada Valley Developm ent Authority (NVDA) and Vikram Udyogpuri Ltd. to meet the water requirement of the project.
- AECOM, the Program Management Consultants is supervising the construction related activities;
- A consortium of SPML and OM Metals, the EPC Contractor is undertaking the implementation of various trunk infrastructure components(INR 332 Crore). Physical progress of works upto July 2020 – 96.83%;
- EPC for laying of water pipeline (INR 129 Crore) and laying of power transmission lines (INR 40 Crore) has alos been awarded and construction activities are in progress;
- Land allotment policy has been finalized and 01 plot admeasuring 12 acres have been allotted to AMUL. The total committed investment is Rs. 200 crores;
- Road shows and round table conferences have been organized to create awareness and attract investors.

Water Supply Project for Pithampur Industrial Area:

- SPV by the name of DMIC Pithampur Jal Prabandhan Company Limited (DMIC PJPCL) has been incorporated between State Govt. and National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- Project cost of INR 306.55 crore has been approved and matching equity of INR 17.15 crore has been released by Trust;
- L&T has been appointed as the EPC contractor for Rs. 219 crore and work has been completed;
- NICDIT has approved the proposal submitted by the Govt. of M.P. to acquire 49% equity share holding of NICDIT in DMIC Pithampur Jal Prabandhan Ltd.

HARYANA

Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary:

- Land admeasuring approx. 886 acres has been identified in District Mahendergarh for the project;
- The project SPV by the name of "DMIC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited" has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;
- The master planning for the project has been completed and approved by the State Govt.;
- CCEA has approved the project with financial sanction of Rs. 1029.49 crores for development of Phase I and "In-Principle" approval for development of Phase II of the project;
- State Govt. has transferred. 676.85 acres out of the total land and equity amounting to Rs. 208.05 crore (including initial equity of Rs. 5 Crore) has been released by NICDIT;
- DFCCIL has given 'in principle' approval for providing connectivity to the project site;
- Environment clearence has been obtained for the project;
- Consultant has been appointed for Preparation of Detailed Project Report of Rail Siding from New Dabla Station of DFCCIL and construction supervision of Rail Siding to the proposed logistic Hub;
- State Govt. is moving forward with the acquisition of remaining land parcels;
- The project has been posed for debt funding from Asian Infrastructure Investment Board (AIIB) to NICDIT.

Mass Rapid Transit System (MRTS) Project:

- State Government along with Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has approved the Final DPR;
- Project SPV by the name of "DMIC Haryana MRTS Project Limited" has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;
- Land is in possession of the State Govt.;

- The project has been included in the JICA Special Rolling Plan for DMIC Project;
- Discussions are underway with Sate Govt. for finalizing the implementing agency for MRTS project.

Global City Project:

- Project SPV by the name of "DMIC Haryana Global City Project Limited" has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;
- Preliminary Engineering for roads and services/utilities has been completed;
- State Govt. of Haryana has been requested to give its concurrence with respect to land valuation and phasing strategy.

UTTAR PRADESH

Integrated Industrial Township Project at Greater Noida:

- Preliminary engineering activities have been completed and SPV by the name of "Integrated Industrial Township Greater Noida Limited" has been incorporated;
- Land admeasuring 747.5 acres has been transferred to the Project SPV and the matching equity amounting to Rs. 617.20 crore has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- Environmental Clearance has been accorded by MoEF&CC;
- ICT consultant has been appointed and tender documents for selection of Master Syatem Integrator (MSI) has been issued;
- Shapoorji Pallonji has been appointed as the EPC Contractor for INR 426 crore for undertaking the implementation of various trunk infrastructure components and work is in progress. Physical progress of work upto July 2020 – 98%;
- SIEMENS has been appointed as EPC Contractor for INR 121 Crore in Jan-2018 for power distribution works within the site. Physical progress of work upto July 2020 – 92%;
- Works related to transmission network has been awarded to Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited (UPPTCL) (INR 156 Crore) and implementation activities are in progress;
- Land allotment policy finalized and 153.89 acres of land allotted to 5 applicants with Haier (123.4 acres) as the anchor investor and commercial operations are likely to begin from September, 2020;
- Road shows and round table conferences were organized.

Multi Modal Logistics Hub (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Boraki in Greater Noida:

- The SPV for Integrated Industrial Township Project will be implementing the MMLH and MMTH project as well;
- DFCCIL has given 'in principle' approval for providing connectivity to the project site;
- Detailed Project Report (DPR) for MMLH and MMTH is being finalized;

- Memorandum of Understanding has been executed between Ministry of Railways and SPV for development of MMTH at Boraki;
- 84% of the Land is in possession of the State Govt. and remaining land parcels are being acquired expeditiously;
- Approval of CCEA is being sought for both MMLH and MMTH project;
- Consultants has been appointed for preparation of Detailed Project Report and construction supervision of Rail Flyover from Dadri Junction Station of DFCCIL to the proposed logistic hub;
- State Govt. has been requested to expedite the balance land acquisition and request has also been made to Ministry of Railways on behalf of GNIDA to permit acquisition of 26 Ha of land under the Railway Act;
- The project has been posed for debt funding from Asian Infrastructure Investment Board (AIIB) to NICDIT.

RAJASTHAN

Khushkhera Bhiwadi Neemrana Investment Region, Rajasthan:

- Master Plan has been notified as part of the overall Shahjahanpur-Neemrana-Behror Urban Complex;
- Land acquisition process has been initiated by State Government for phase-I development (approx. 14 sq kms);
- Environmental clearance has been obtained;
- Rajasthan Special Investment Region Act has been notified by State Government for enabling execution of SHA & SSA and the draft has been shared with the State Govt.

Greenfield International Airport at Rajasthan:

- Site Clearance accorded by Ministry of Civil Aviation (MoCA);
- The Detailed Project Report (DPR) has been submitted by Airport Authority of India (AAI).
- Environment impact Assessment Study is complete and Environment Clearance is being obtained from MOEF&CC;
- State Govt. has been requested to expedite the land acquisition for the project.

Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA):

- Master Plan has been notified;
- State Govt. has been requested to expedite the land acquisition.
- The Environment Clearance for the Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA) project in Rajasthan has been granted by the MoEF&CC .

SMART COMMUNITY PROJECTS:

A) Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:

- The 05MW Solar Power Plant has been commissioned on 03rd September, 2015. The power is feeding to State Grid (i.e. 220KV GSS Neemrana) at the agreed tariff of Rs. 8.77/- per unit as per the Power Purchase Agreement (PPA) with NVVN Limited.
- The 1 MW model solar power project is conceived as the first Smart Micro-Grid Project in India, demonstrating the integration of solar power with industrial diesel generator sets;
- Micro-grid Solar Power Supply project was commissioned on 10thJuly 2017 of a capacity of 1MW during the demonstration period for two years the Off grid Hybrid power was supplied to Mikuni India Private Limited. The plant has been decommissioned on 20th Feb 2020 at MIPL.
- A Power Purchase Agreement between DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited (DNSPCL) and Toyada Gosei Minda India Pvt. Ltd. (TGMIPL) has been signed on date 12th Feb 2020 for the supply of Grid Integrated Solar power on the basis of a third party sale of Solar Power.
- Expected Generation for FY 2020-21 from 5MW is 71,50,000 units and from 1MW Expected Generation is 4,500 units per day.

B) Logistic Data Bank Project:

- Operations initiated at JNPT Port with effect from 01st July, 2016;
- More than 26.43 million containers have been tagged/de-tagged till July, 2020;
- Service is operational at PAN India level at all major and some minor ports.

OTHER PROJECTS:

India International Convention and Expo Centre (IICC) at Dwarka, Delhi:

- L&T has been appointed as EPC contractor for the construction work of development of Phase 1 components (Rs. 2791 cr.). The works are being supervised & monitored by PMC who have reported the percentage physical progress of 65.35% upto 31st July 2020.
- Other project development activities are being taken forward in consultation with stakeholders like Delhi Development Authority (DDA), Airport Authority of India (AAI), Delhi Jal Board (DJB), Delhi Transco Limited (DTL), National Highways Authority of India (NHAI) etc.;
- Tunnelling works under Exhibition Hall – 3 was completed by DMRC and handed over to L&T for further construction works.
- Regular review meetings are being held to monitor the progress of the project along with EPC Contractor, PMC and all other stakeholders.The venue operator KINTEX is involved in the design development process of IICC and the inputs suggested by the KINTEX has been incorporated.
- A term loan amounting to Rs. 2150.16 crore has been finalized from SBI with the approval of Board of IICC;

- The work of feeder cable laying up to IICC plot by BSES and procurement of GIS substation has been completed.
- Rs. 92.39 crore has been transferred from IICC to NHAI for onward payment to DDA for transfer of 18.66 acres of land for external connectivity to be developed by NHAI.
- Work on Development of Dwarka Expressway and UER - II (which includes road connectivity to IICC complex) awarded by NHAI has commenced
- DDA has permitted IICC Ltd. to plant trees & maintain as public park in 34 Ha of land in the green belt adjoining IICC site (South Side).
- Construction work was held up from 01-11-2019 to 09-12-2019 and resumed on 10th Dec 19 (6:00 AM to 6:00 PM only) as per ban imposed by Hon'ble Supreme Court on construction activities in Delhi NCR region.
- RfP for Office Block (Plot No. 19, 20, 22 & 23) and for 4 & 5-Star Hotels (Plot No. 9 & 21) as per Mixed-Use Development area has been floated on 16th December 2019. Pre-bid meeting for Office Complex plots has been conducted on 15th January 2020. Under the directives issued by Government of India for Nationwide Lockdown and at the bidder's request, the project due date and e-Auction date for both Office Block and Hotels have been extended.
- The bidding process for 4 Office Plots on MSTC website was conducted on 29th June 2020. IICC Ltd. has obtained Valuation of Reserve Price for the Plots from Independent Property Valuators – M/s Colliers International and M/s JLL Property Consultants. The Report has been submteed to Evaluation Committee to determins the Reserve price for consideration of the bid by the Board of IICC Ltd. scheduled on 27th August 2020.
- Further, it may be noted that all the construction activities at site are affected since 23rd March 2020 in accordance with directives issued by Government of India and Government of Delhi NCR on account of Covid-19/Lockdown. Construction activities resumed in May 2020 but pace of work is continued to be affected due to shortage of labour.

OTHER INDUSTRIAL CORRIDORS:

A. CHENNAI BENGALURU INDUSTRIAL CORRIDOR (CBIC) PROJECT:

- Perspective Plan for the overall corridor has been completed and three nodes have been identified for development:
  i. Krishnapatnam, Andhra Pradesh;
  ii. Tumakuru, Karnataka; and
  iii. Ponneri, Tamil Nadu.

i. Krishnapatnam, Andhra Pradesh:

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) have been executed and project SPV by the name of 'NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited' has been incorporated on 07th August, 2018.
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities for the Activation Area (2500 acres) have been finalized and project proposal has been considered by NICDIT. Approval of CCEA is being sought accordingly.

ii. Tumakuru, Karnataka:

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) have been executed and project SPV i.e. CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd. has been incorporated on 1st November, 2018.
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities for the Activation Area (1736 acres) have been finalized and project proposal has been considered by NICDIT. Approval of CCEA is being sought accordingly.

iii.Ponneri, Tamil Nadu:

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) have been executed on 21st Feb, 2020 and the project SPV has been incorporated;
- Activities related to selection of consultants for Deatiled Master Planning and Preliminary Engineering has been initiated;

Extension of CBIC to Kochi Via Coimbatore:

- NICDIT in its meeting held on 30th August, 2019 has accorded its approval for entension of CBIC Project to Kochi via Coimbatore;
- Accordingly, consultant has been appointed for detailed master planning and preliminary engineering for Palakkad (Kerala) and bids are under evaluation for selection of consultant for Dharmapuri Salem (Tamil Nadu);
- Finalization of SHA & SSA is also underway.

B. AMRITSAR KOLKATA INDUSTRIAL CORRIDOR (AKIC) PROJECT:

- Perspective Plan for the overall corridor has been completed and seven Industrial Manufacturing Clusters (IMCs) have been identified for development under phase-I. These IMCs are Rajpura-Patiala (Punjab), Hisar (Haryana), Prag-Khurpia Farms (Uttakakhand), Bhaupur (Uttar Pradesh), Gamhariya (Bihar), Barhi (Jharkhand) and Raghunathpur (West Bengal);
- Concept Master Plans for all the identified IMCs have been finalized;

i. Raghunathpur, West Bengal

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) is being discussed with the state government;
- Land parcel of 2483 acres is under the possession of State Govt. of West Bengal;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been completed;

ii. Prag-Khurpia Farms, Uttarakhand

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) is being finalized with the state government;
- Land parcel of approx. 1002 acres is under the possession of State Govt. of Uttarakhand and tender document has been issued for selection of consutant for detailed master planning and preliminary engineering;

iii. Hisar, Haryana

- Govt. of Haryana has informed that Hisar IMC site may be developed as the land is in possession (approx. 3,500 acres) of State Govt. in place of earlier identified site of Saha;
- Tender document for selection of consultant for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering for the new site i.e. Hisar has been shared with State Govt. for their comments/suggestions and same are awaited.

C. BENGALURU MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR (BMIC) PROJECT:

- The Perspective Plan has been completed and approved;
- Dharwad in Karnataka has been identified as the priority node for development;
- Govt. of Maharashtra has given 'in-principle' approval for the development of Sangli/Solapur Node in the State.
- Tender document for selection of consultant for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering for Dharwad has been shared with State Govt. for their comments/suggestions and same are awaited.

D. EAST COAST INDUSTRIAL CORRIDOR (ECIC) PROJECT:

- ECIC links Kolkata-Chennai-Tuticorin;
- Asian Development Bank (ADB) has prepared the Concept Development Plan (CDP) and following nodes have been identified for development:

  - Visakhapatnam (6,629 acres)
  - Machilipatnam (15,543 acres)
  - Donakonda (17,117 acres)
  - Chittoor (26,731 acres)

i. VIZAG CHENNAI INDUSTRIAL CORRIDOR (VCIC) as Phase-I of EAST COAST INDUSTRIAL CORRIDOR (ECIC)

- The prioritized nodes are Visakhapatnam and Chittoor.
- NICDIT had accorded its approval for development of Vishakhapatnam and Chittoor as priority nodes in phase-1 of VCIC.
- State Govt. has also requested for inclusion of Kadappa as an additional node in the State of Andhra Pradesh
- State Govt. has informed regarding availability of land in Kadappa and Chitoor for development of industrial node and accordingly, tender documents for selection of consultants for detailed master planning and preliminary engineering for both sites has been issued;
- For Visakhapatnam site, State Govt. is undertaking the detailed master planning and preliminary engineering activites.

ii. ODISHA ECONOMIC CORRIDOR (OEC) PROJECT as part of EAST COAST INDUSTRIAL CORRIDOR (ECIC)

- Concept Development Plan (CDP) has been finalized by ADB
- Khurda-Cuttack-Jagatsinghpur (KCJ) and Jajpur-Kendrapara-Bhadrak (JKB) has been identified for development

- State Govt. has submitted the proposal for inclusion of OEC as part of overall mandate of NICDIT.

E. HYDERABAD WARANGAL and HYDERABAD NAGPUR INDUSTRIAL CORRIDOR

- Based on the proposal received from Govt. of Telangana for development of Hyderabad Warangal and Hyderabad Nagpur Industrial Corridor, NICDIT had directed that "Government of Telangana should carry out a feasibility study and identify suitable land for the project."
- Accordingly, Govt. of Telangana has carried out a detailed study and Hyderabad Pharma City has been identified as part of Hyderabad Warangal Industrial Corridor. Further, Zaheerabad has been identified as part of Hyderabad Nagpur Industrial Corridor.
- Based on the study, the proposal with regard inclusion of Hyderabad Warangal and Hyderabad Nagpur Industrial Corridor will be placed for the consideration and approval of NICDIT .

F. HYDERABAD BENGALURU INDUSTRIAL CORRIDOR (HBIC)

- A request has been recently received by Govt. of India from Govt. of Andhra Pradesh for development of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor wherein following nodes were proposed for development:
  - Orvakal
  - Anantapur
  - Hindupur

  During the recent meetings with officials of State Govt., the progress of the project was reviewed and after detailed deliberations, it was decided that State Govt.(s) of Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka will discuss initially among themselves and communicate their view points to NICDC regarding implementation of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor. Support for HBIC and land details from State Govt. of Telangana and Andhra Pradesh have been received from the State Govts. The proposal with regard inclusion of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor will be placed for the consideration and approval of NICDIT.

Various Industrial Corridors in the southern part of the country can leverage the proposed East Coast Dedicated Freight Corridor (DFC) being planned from Vijaywada to Kharagpur, East West DFC planned from Bhusawal-Nagpur-Rajkharswan-Dankuni and Bhusawal-Nagpur-Rajkharswan-Andal and North South DFC planned from Vijaywada to Itarsi by DFCCIL, which is currently undertaking preparations of DPR for these sections.

In addition to this, project development works will also be initiated for Delhi Nagpur Corridor in consultation with the respective State Govts.

Awards and recognitions for Smart cities under DMIC Project

Dholera Smart City:

1. Geospatial Excellence Award, March 2016
2. Bentley "Be Inspired", March 2016
3. IGBC Green City Rating "Platinum", Sept 2016
4. Best City for Integrated Planning, Feb 2017
5. Best Green City, Feb 2017
6. Best Innovative Greenfield Industrial Township Project, Feb 2019

AURIC Smart City:

1. Auric Hall - 2017 Times National award for Best office building and Best in Architecture
2. 2018 National Safety Council 2nd Place for Infra Project 3.2 Million safe Manhours
3. 2018 Skoch Order-of-Merit Award for E-Land Management System
4. 11 EBJ/CCBJ Awards for Environmental and Climate Change Innovations in San Fransico received award for Technology Merit: Smart Cities.

- **Technology Merit: Smart Cities:** Extended Aurangabad Industrial Smart City project, integrating smart technologies and next-level infrastructure to transform AURIC (Aurangabad Industrial City) into a smart, green industrial city of the future.

MARKETING AND PROMOTION

- Extensive marketing efforts are being undertaken for allotting land parcels by having an industry specific focus. Various competitive ways for bringing in private sector investors/developers for developing undeveloped land parcels, so as to reduce the Government's contribution, are also being explored.

- SPVs are currently preparing a land incentivisation schemes for promoting allotment of land at concessional terms to the industries. SPVs are also preparing proposals for availing incentives offered by Central Ministries in the prioritized sectors like Pharma, Textiles, Electronics, Food Parks etc. in order to attract investments from industries from these sectors

- The whole objective is to create quality infrastructure ahead of demand and keep the developed land parcels ready for immediate allotment for attracting investments
- into manufacturing and thus making India a strong player in the Global Value Chain.

FINANCIAL RESULTS SUMMARY

During the Financial Year 2019-20, a sum of Rs. 895 crore and Rs. 55 crore was released by GOI towards the Main Corpus and Additional Corpus of the Trust, respectively.

The Financial Summary of the Trust at the end of the financial year is as follows:

(Rs. in crore)

Particulars	Financial Year 2019-20 (Unaudited)	Financial Year 2018-19 (Audited)
Corpus / Capital Fund*	5655.90	4740.06
Fixed assets	Nil	Nil
Investments	5199.61	4421.60
Current Assets	456.37	318.51
Earmarked Funds	Nil	Nil
Current Liabilities	0.08	0.06
Non-Current Liabilities	Nil	Nil
Gross Income	25.74	28.88
Excess /(Deficit) of Income over Expenditure	15.85	17.06

Auditors

As per Clause 13 of the Trust Deed, the NICDIT shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The President of India entrusted the audit of Accounts of NICDIT to the office of C&AG for a period of 5 years from the year 2017-18 to 2021-22 under section 20(1) of the Comptroller & Auditor General (Duties, Powers & Condition of Service) Act, 1971.

During the year, the C&AG Audit Team conducted Annual Accounts Audit and Transaction Audit for the financial year 2018-19.

Particulars of Employees

NICDIT has no employees during the year 2019-20.

In accordance with the clause 8.5 of the Trust Deed, Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) shall act as Chairman of the Trust and CEO & MD, NICDC Limited shall act as Chief Executive Officer ("CEO") of NICDIT.

Acknowledgement

The Chief Executive Officer of the Trust wishes to place on record, his gratitude to all Trustees for their continued support, co-operation and contribution in the Trust.

***For* National Industrial Corridor Development and Implementation Trust**

(K.Sanjay Murthy)
CEO & Member Secretary

Place : New Delhi
Date : 19-Aug-2020

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

संख्या/No. PDA/Infra/IHQ-1/27-47/2020-21/12

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 24-11-2020

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन,
नई दिल्ली।

विषयः- नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट (NICDIT) के वर्ष 31 मार्च 2020 के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट (NICDIT) के वर्ष 2019-20 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing Body) को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

अनुलग्नकः यथोपरि

हस्ता.
(रिना अकोइज़म)
प्रधान निदेशक

संख्या : PDA/Infra/IHQ-1/27-47/2020-21/123 दिनाँक : 24-11-2020

प्रतिलिपिः-

1 अध्यक्ष, नैशनल इंडोस्ट्रियल कॉरिडोर डैवलपमैट एण्ड इम्पिलिमेन्टशन ट्रस्ट (NICDIT), 8वीं मंजिल, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124 , कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

(रिना अकोइज़म)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust for the year ended 31 March 2020

We have audited the attached Balance Sheet of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (Trust) as at 31 March 2020 and the Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) entrustment letter No.1 (27)-B(R)/2013 dated 1 September 2014. These financial statements are the responsibility of the Trust's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust as required under clause 13.1 of the Deed of Trust dated 27 September 2012 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

Grants-in-aid

Status of Grants-in-aid under Project Implementation Fund and Project Development Fund was as under (as per information furnished by Management): -

(Rs. in crore)

Particulars	**Project Implementation Fund (For creation of capital assets)**	**Project Development Fund (to carry out project development activities)**
Opening Balance	101.36	0.04
Add: Grants received during 2019-20	895.00	55.00
Add: Interest and Dividend earned during 2019-20	6.92	0.0069
Add: Loan repayment by DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited	2.50	-
Add: Loan repayment by DMICDC Logistics Data Services Ltd.	6.75	-
Total amount available	**1012.53**	**55.05**
Less:- Amount Utilized	837.87	50.00
Closing Balance as on 31.03.2020	174.66	5.05

(v) We report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a) In so far as it is related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust as at 31 March, 2020 and

b) In so far as it is related to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Rina Akoijam)
Principal Director of Audit (Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 24 November 2020

Annexure

(to Separate Audit Report on the Accounts of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust for the year ended 31 March 2020)

1. **Adequacy of Internal Audit System**

   Internal Audit for the year 2019-20 has been conducted by a Chartered Accountancy firm.

2. **Adequacy of Internal Control System**

   Internal control system is commensurate with the size of the organization.

3. **System of Physical Verification of Fixed Assets**

   Trust is not having any fixed assets.

4. **System of Physical Verification of Inventory**

   Trust is not having any inventory.

5. **Regularity in payment of statutory dues**

   Trust is generally regular in payment of statutory dues.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

BALANCE SHEET
As at 31st March, 2020

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2019-20	2018-19
CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus / Capital Fund	1	56,55,90,34,039	47,40,05,82,863
Reserves and Surplus	-	-	-
Earmarked / Endowment Funds	-	-	-
Loans and Borrowings	-	-	-
Current Liabilities and Provisions	2	7,57,116	5,72,110
Total		**56,55,97,91,155**	**47,40,11,54,973**
ASSETS			
Fixed Assets	-	-	-
Investments	3	51,99,60,65,101	44,21,60,25,101
Current Assets, Loans, Advances etc.	4	4,56,37,26,054	3,18,51,29,872
Total		**56,55,97,91,155**	**47,40,11,54,973**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Member Secretary

(Guruprasad Mohapatra)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 19-Aug-2020

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

for the year ended 31st March 2020

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2019-20	2018-19
INCOME			
Interest Earned	5	25,73,67,649	26,59,97,977
Other Income	6	-	2,27,55,993
Total (A)		**25,73,67,649**	**28,87,53,970**
EXPENDITURE			
Other Administrative Expenses	7	9,89,16,473	11,81,25,734
Total (B)		**9,89,16,473**	**11,81,25,734**
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)		15,84,51,176	17,06,28,236
Transfer to Additional Corpus		77,890	51,20,754
Transfer to / from General Reserve		-	-
Balance being Surplus / (Deficit) carried to Main Corpus / Capital Fund		**15,83,73,286**	**16,55,07,482**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Member Secretary

(Guruprasad Mohapatra)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 19-Aug-2020

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

RECEIPTS AND PAYMENTS

for the year ended 31st March 2020

(Amount - ₹)

RECEIPTS	2019-20	2018-19	PAYMENTS	2019-20	2018-19
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in Hand	-	-	Other Administrative Expenses	9,87,31,467	11,88,20,965
b) Bank Balances					
i) In Saving Accounts	1,03,179	97,29,855	**II. Payments made for various projects**		
ii) In Deposit Accounts	1,01,39,65,390	27,41,20,456	a) Out of Main Corpus		
			Release of loan to:		
II. Grants Received			ii) DMIC Vikram Udyogpuri Limited	50,00,00,000	50,00,00,000
a) From Government of India for Main Corpus	8,95,00,00,000	9,98,51,74,213	b) Out of Additional Corpus		
b) From Government of India for Additional Corpus	55,00,00,000	98,48,25,787	- Release of Grant-in-aid to NICDC Ltd.	50,00,00,000	1,01,00,00,000
III. Income on Investments from (Refer to Schedule 6)			**III. Investments and deposits made**		
a) Main Corpus	-	45,33,641	a) Out of Main Corpus	7,78,00,40,000	9,47,98,52,220
b) Additional Corpus	-	-	b) Out of Additional Corpus	-	-
IV. Interest Received			**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-progress**	-	-
a) On Bank Deposits (net of TDS)	6,19,53,817	10,56,92,135			
b) On Saving Accounts	16,70,150	12,68,395	**V. Refund of Surplus money/Loans**	-	-
c) On Loans and Advances (net of TDS)	56,26,393	1,20,70,743			
V. Other Income (Refer to Schedule 6)			**VI. Finance Charges (Interest)**	-	-
a) Main Corpus	-	1,38,18,374	**VII. Other Payments**	-	-
b) Additional Corpus	-	44,03,978			
VI. Amount Borrowed	-	-	**VIII. Closing Balances**		
			a) Cash in Hand	-	-
VII. Any Other Receipts			b) Bank Balances		
Repayment of Loan by:			i) In Saving Accounts	79,221	1,03,179
(i) DMICDC Neemrana Solar Power Co Ltd.	2,50,00,000	1,10,00,000	ii) In Deposit Accounts	1,79,69,68,241	1,01,39,65,390
(ii) DMICDC Logistics Data Services Ltd.	6,75,00,000	6,00,00,000			
Income Tax Refund	-	8,40,21,438			
Reimb. of expenses incurred for IICC Ltd.	-	57,20,82,739			
Total	**10,67,58,18,929**	**12,12,27,41,754**	**Total**	**10,67,58,18,929**	**12,12,27,41,754**

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Member Secretary

(Guruprasad Mohapatra)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 19-Aug-2020

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2020

(Amount - ₹)

Particulars		2019-20	2018-19
SCHEDULE 1 : CORPUS / CAPITAL FUND			
1.0. MAIN CORPUS / CAPITAL FUND			
Balance at the beginning of the year		47,39,04,56,679	37,23,97,74,984
Add: Contribution received towards Corpus / Capital Fund		8,95,00,00,000	9,98,51,74,213
Add / (Less): Balance of net income / expenditure transferred from the Income and Expenditure Account		15,83,73,286	16,55,07,482
Balance as at the year end (A)		**56,49,88,29,965**	**47,39,04,56,679**
1.1. ADDITIONAL CORPUS FOR NICDC LIMITED (Formerly Known as DMICDC LIMITED)			
Balance at the beginning of the year		3,27,74,25,787	2,29,26,00,000
Add: Contribution towards Additional Corpus / Capital Funds		55,00,00,000	98,48,25,787
	(a)	3,82,74,25,787	3,27,74,25,787
Add: Balance of net income / expenditure transferred from Income and Expenditure Account			
- Upto Previous Year		38,14,27,397	37,63,06,643
- During the Current Year		77,890	51,20,754
	(b)	38,15,05,287	38,14,27,397
Less: Amount utilised by releasing Grant-in-aid to NICDC Ltd. (Formerly Known as DMICDC Ltd.)			
- Upto Previous Year		3,64,87,27,000	2,63,87,27,000
- During the Current Year		50,00,00,000	1,01,00,00,000
	(c)	4,14,87,27,000	3,64,87,27,000
Balance as at the year end (B)=[(a) + (b) - (c)]		**6,02,04,074**	**1,01,26,184**
Grand Total (A + B)		**56,55,90,34,039**	**47,40,05,82,863**

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2020

(Amount - ₹)

Particulars		2019-20	2018-19
SCHEDULE 2 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
2.0. CURRENT LIABILITIES			
1 Sundry Creditors:			
(a) For Goods		-	-
(b) Others			
2 Statutory Liabilities		1,43,616	1,28,610
(a) Others			
- Tax Deducted at Source (TDS)		8,500	8,500
	(A)	1,52,116	1,37,110
2.1. PROVISIONS			
1 Others			
(a) Provision for Audit fees			
- Current Year		1,70,000	1,70,000
- Previous Years		4,35,000	2,65,000
	(B)	6,05,000	4,35,000
Total (A + B)		7,57,116	5,72,110
SCHEDULE 3 : INVESTMENTS			
1. Investment From Earmarked / Endowment Funds		-	-
2. Investment - Others			
(a) Shares			
Investment in Equity Shares of-			
- Pithampur Jal Prabandhan Co Ltd.		17,15,00,000	17,15,00,000
- DMIC Vikram Udyogpuri Ltd.		55,93,00,000	55,93,00,000
- Integrated Industrial Township Greater Noida Limited		6,17,20,00,000	6,17,20,00,000
- Aurangabad Industrial Township Ltd.		22,52,70,00,000	17,52,70,00,000
- Dholera Industrial City Dev. Ltd.		19,95,54,08,351	17,45,54,08,351
- DMICDC Logistics Data Services Ltd		4,01,98,000	4,01,98,000
- DMIC Haryana Global City Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- DMIC Haryana MRTS Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- DMIC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited		2,04,82,58,750	1,96,67,18,750
- Dholera International Airport Co Ltd.		24,24,00,000	4,39,00,000 00
- CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd.		2,50,00,000	2,50,00,000 00
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited		2,50,00,000	2,50,00,000 00
(b) Others			
- Release of Funds to NICDC Limited (Formerly Known as DMICDC Limited for Investment in Equity Shares of DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited (Refer Note No 3 of Schedule-9)		13,00,00,000	13,00,00,000
Total		**51,99,60,65,101**	**44,21,60,25,101**

New Delhi

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2020

(Amount - ₹)

Particulars		2019-20	2018-19
SCHEDULE 4 : CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.			
4.0. CURRENT ASSETS:			
1. Bank Balances with Scheduled Banks:			
(a) On Deposit Accounts			
- Main Corpus		1,74,65,46,460	1,01,36,10,390
- Additional Corpus		5,04,21,781	3,55,000
(b) On Saving Accounts			
- Main Corpus		25,524	50,818
- Additional Corpus		53,697	52,361
	(A)	**1,79,70,47,462**	**1,01,40,68,569**
4.1. LOANS, ADVANCES & OTHER ASSETS:			
1. Loans and Advances to:			
-DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited		-	2,50,00,000
-DMICDC Logistics Data Services Limited		-	6,75,00,000
-DMIC Vikram Udyogpuri Limited		2,32,54,00,000	1,82,54,00,000
2. Interest Accrued on Deposits with Bank:			
Main Corpus		47,30,209	45,75,903
Additional Corpus		6,625	115
3. Interest Accrued on Loans and Advances from:			
DMIC Vikram Udyogpuri Limited		33,88,72,491	17,65,09,309
4. Others:			
Tax Deducted at Source			
- Main Corpus		8,78,64,915	6,22,74,769
- Additional Corpus		98,04,352	98,01,207
	(B)	**2,76,66,78,592**	**2,17,10,61,303**
Total (A + B)		**4,56,37,26,054**	**3,18,51,29,872**

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

NOTES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
for the year ended 31st March 2020

(Amount - ₹)

Particulars	2019-20	2018-19
SCHEDULE 5 : INTEREST EARNED		
1. On Term Deposits (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	6,90,10,976	11,28,82,992
[TDS for Current Year - ₹ 69,24,635/- (Previous Year - ₹ 1,12,88,345)]		
(b) Additional Corpus	31,436	6,24,969
[TDS for Current Year - ₹ 3,145/- (Previous Year - ₹ 1,24,054/-)]		
2. On Savings Accounts (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	16,23,696	11,76,588
(b) Additional Corpus	46,454	91,807
3. On Loans:		
[TDS for Current Year - ₹ 1,86,65,510/- (Previous Year - ₹ 1,51,22,162/-)]	18,66,55,087	15,12,21,621
Total	**25,73,67,649**	**26,59,97,977**
SCHEDULE 6 : OTHER INCOME		
Interest on Income Tax Refund:		
(a) Main Corpus	-	1,38,18,374
(b) Additional Corpus	-	44,03,978
Dividend Income	-	45,33,641
Total	**-**	**2,27,55,993**
SCHEDULE 7 : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		
a) Service Fees	9,77,04,472	11,77,62,257
b) Auditors Remuneration		
- Current Year	1,70,000	1,70,000
- Previous Years	-	5,320
c) Expenses on Filling Fees	166	200
d) Professional and Consultancy Fees	1,19,108	94,000
e) Meeting and Conference Expenses	21,049	19,411
f) Prior Period Expenses	-	35,000
g) Printing & Stationery	3,33,772	7,834
h) Share Dematerialsation Expenses	5,54,427	9,543
i) Others		
- Misc. Expenses	13,479	22,169
Total	**9,89,16,473**	**11,81,25,734**

New Delhi

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.0 Accounting Convention

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and on the basis of accrual method of accounting unless otherwise stated.

2.0 Long-term Investments

Long-term investments are carried at actual cost including the cost incidental to acquisition.

3.0 Fixed Assets

3.1 Fixed Assets are shown at cost less accumulated depreciation and impairment, if any;

3.2 Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the assets are ready for use, as intended by the management;

3.3 Subsequent expenditures relating to Fixed Assets are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these assets will flow to Trust and the cost of the item can be measured reliably. Repairs & maintenance costs are recognized in the Income and Expenditure Account when incurred;

3.4 Depreciation is provided on pro-rata to the extent of depreciable amount on Written Down Value (WDV) method. Depreciation is provided based on useful life of the assets.

4.0 Government Grant

4.1 Trust receives non-recurring / recurring grants-in-aid from Government of India separately for:

(i.) "Creation of Capital Assets" towards the main Corpus of the Trust shown as "Main Corpus" under "Corpus / Capital Fund"; and

(ii.) "General" earmarked to be given to National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited) as grant-in-aid to carry out project development activities shown as "Additional Corpus" under "Corpus / Capital Fund".

This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

4.2 The grants-in-aid received from the Government of India are accounted on receipt basis.

5.0 Revenue Recognition

5.1 Income is recognised on accrual basis.

5.2 Interest earned on surplus funds of "Main Corpus" and "Additional Corpus" are shown distinctly under these respective heads. This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

6.0 Other Administrative Expenses

Other administrative expenses are met out of the interest income on surplus funds of grant-in-aid received under the head "Main Corpus / Capital Fund".

7.0 Service Fees

Service Fees for the services rendered by NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) @ 1% (subject to the maximum limit of ₹ 20 crore in a year) of the funds released by Trust to various projects out of Project Implementation Fund (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis.

8.0 Foreign Currency Transactions

Expenses in foreign currencies are accounted at the prevailing market rate of exchange on the date of transaction and income in foreign currencies are accounted at the value recovered from these currencies.

9.0 Leases

Leases are classified as operating lease where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership during the lease term. Operating lease payments as per the terms of the lease agreement are recognised as an expense in the Income and Statement account on accrual basis.

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1.0 National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier DMIC Project Implementation Trust Fund) was formed on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) vide order no. 11/1/2016 dated 22.12.2016 conveyed the approval of Government of India in its Cabinet Meeting held on 7th December, 2016 for the expansion of mandate of Trust to include other Industrial Corridors i.e., Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC), Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC), Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) with extension to Kochi via Coimbatore (approved by Board of Trustees of NICDIT in its 4th meeting held on 30th August 2019) and Vizag – Chennai Industrial Corridor (VCIC) as part of East Coast Industrial Corridor (ECIC) Projects along with existing Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project and its redesignation as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT).

2.0 As per the Financial and Institutional structure for the development of industrial cities in the Delhi - Mumbai Industrial Corridor (DMIC) approved by the Government on 15th September, 2011, the Government of India will provide a grant-in-aid of ₹ 17,500 crore to the Trust over the next 5 years beginning 2011-12, for the development of industrial cities. An Additional Corpus of ₹ 1000 crore would be given to Trust for passing on to National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (Formerly Known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited) as grant-in-aid over the next five years to carry out project development activities and to form project specific SPVs and sectoral holding companies consisting of project specific SPVs in a range of infrastructure areas.

Government of India in its meeting held on 7th December, 2016 accorded its permission to utilise the above approved financial assistance along with additional sanctioned amount of ₹ 1584 crore (i.e., ₹ 1500 crore for other industrial corridor and ₹ 84 crore for Administrative expenses of NICDIT) within the extended period upto 31st March, 2022.

During the year, a sum of ₹ 895 crore (Previous Year ₹ 998.52 crore) was received towards Main Corpus / Capital Fund and ₹ 55 crore (Previous Year ₹ 98.48 crore) towards the Additional Corpus.

The Government of India's contribution to Trust would be used as a Revolving Corpus.

3.0 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 13,00,00,000/- (Rupees Thirteen Crore Only) was transferred to NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) out of Main Corpus/ Capital Funds of Trust during the financial year 2013-14 for onward release to its 100% owned SPV namely "DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited" towards 100% equity investment of Trust through NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) for the implementation of 6.00 MW Model Solar Power Project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through NICDC Limited (Formerly knwon as DMICDC Limited). The amount so released was reduced from the Corpus Funds of Trust during the Financial Year 2013-14.

As per the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountant of India obtained on the recommendations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) regarding the disclosure of the transaction, the amount reduced from the Main Corpus /Capital Fund of the Trust has been added back during the financial year 2016-17.

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

4.0 Employees Benefits

Trust does not have any employee. The provision for liability on account of employee's benefit including retirement benefit is NIL (Previous Year NIL).

5.0 Contingent Liabilities

The Contingent Liability of Trust is NIL (Previous Year NIL).

6.0 Capital Commitments

The Capital Commitment of Trust is NIL (Previous Year NIL).

7.0 Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the management and to the best of their knowledge and belief, the current assets, loans and advances have a value on realisation in the ordinary course of business which would not be less than the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

8.0 Taxation

The Director of Income Tax (Exemption) vide order dated 13th August, 2013, has granted registration under section 12A read with section 12AA of the Income Tax Act, 1961 with effect from the assessment year 2013-14 in response to an application filed by Trust on 28th March, 2013. Accordingly, the Trust has not made provision for income tax.

Besides, in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, an amount of ₹ 11,98,46,028/- (Previous Year - ₹ 12,73,15,140/-) will be set apart out of the income of the Trust which will be utilised within 5 years i.e , upto 31.03.2025 for the purpose of development and implementation of Industrial Corridor Projects.

The amount set apart upto the financial year 2018-19 has already been utilised for the purpose of development and implementation of Industrial Corridor Projects

	Amount (₹) 2019-20	Amount (₹) 2018-19
9.0 Foreign Currency Transactions		
9.1 Earning in Foreign Currency	Nil	Nil
9.2 Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
10.0 Remuneration to Auditors		
10.1 Audit Fees		
- For Current Year	1,70,000	1,70,000
- For earlier Financial Years	-	5,320
10.2 For Taxation Matters	-	-
10.3 For Other Services	-	-

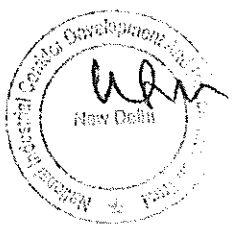

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

11.0 Project Development Expenditure

In accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) on the Annual Accounts of National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC)(Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC)), the matter of transfer of 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited out of the Project Development Funds (PDF) to the concerned subsidiaries /SPVs formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments was placed for the consideration of the Board of Trustees of NICDIT in its 3rd meeting held on 06.03.2018.

As per the directions of the Board of Trustees, 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited in relation to projects of the said Subsidiaries /SPVs out of project development funds provided as Grant-in-Aid, to the concerned subsidiaries /SPVs has been transferred to the respective SPVs and the recovery of the same has been deferred till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds.

Further, in accordance with the accounting policies of NICDC Limited, the project development expenditure incurred for the projects which have not been taken off or no further activities have been carried out or the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s). /Nodal Agency(ies) does not provide for such recovery, have been disclosed as reduction from 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves' in the Financial Statements of NICDC Limited.

12.0 Receipts and Payments Account

The Receipts and Payments Account is prepared on the basis of inflows and outflows of cash during the year. This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

13.0 Impact of COVID-19 on the operations of the Trust

The Trust on the basis of its assessment and considering the nature of its business, believes that the operations of the Trust are not likely to be impacted adversely by COVID -19 pandemic.

14.0 Corresponding figures for the previous year have been regrouped / rearranged, wherever necessary.

15.0 Schedules 1 to 9 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2020 and the Income and Expenditure Account for the period ended on that date.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Member Secretary

(Guruprasad Mohapatra)
Chairman

Place: New Delhi
Date : 19-Aug-2020